परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य

वी.

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

(2021 की सिविल अपील संख्या 706)

24 फरवरी, 2021

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949। 5 (3)

(iii) (ए) और एस। 29 ए-बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम (शहर में वार्डों का परिसीमन और आरक्षित सीटों का आवंटन) नियम, 1994-आरआर। 4 और 5-दो अलग-अलग रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के फैसलों से दो अपीलें प्रस्तुत करें।

-

एस के अधिकारों को चुनौती देने वाली रिट याचिका में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पहली अपील दायर की गई थी। 5 (3) (iii) (ए) और एस। 29 गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 के ए के साथ-साथ बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम के नियम 4 और 5

निगम (शहर में वार्डों का परिसीमन और आवंटन)

आरक्षित सीटें) नियम, 1994-उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि पहले उक्त धाराओं और नियम 4 के अधिकार थे।

उच्च न्यायालय के पूर्व खंड पीठ के फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था दूसरी अपील राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर की गई थी

चुनौती देने वाली रिट याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ

2015 के अध्यादेश संख्या 3 के खंड (3), (4) और (5) गुजरात के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए गए। 7 गुजरात प्रान्त का ए

नगर निगम अधिनियम, 1949, गुजरात नगरपालिका अधिनियम, 1963 और एस की धारा 8 ए। 257 गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 को प्रतिस्थापित किया गया है-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 7 जी. पी. एम. सी. अधिनियम का ए. एस. 8 ए. गुजरात नगरपालिका अधिनियम और एस. 257 2015 के अध्यादेश संख्या 3 द्वारा लाया गया गुजरात पंचायत अधिनियम असंवैधानिक था और राज्य में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव को स्थगित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग की कार्रवाई थी

अवैध-उपर्युक्त दो दीवानी अपीलों के अलावा, गुजरात के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। 5 (3) ((ग) अधिनियम, 1949 का (क) वार्डों की संख्या, आरक्षित सीटों सहित सीटों का निर्धारण करना।

कई प्रांतीय निगमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए दो दीवानी अपीलें

और रिट याचिका को टैग किया जाता है और एक साथ सुना जाता हैः एस के प्रावधान। 5 (3) (iii) (ए) और एस। 29 अधिनियम, 1949 का ए और नियम 4 और

5 उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि नियम, 1994 और नियम, 2007 के नियम 2 (बी) संविधान के भाग IXA के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की इसलिए, पहली दीवानी अपील और रिट याचिका हैं -

खारिज-राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर दीवानी अपील को निष्फल होने के रूप में खारिज कर दिया जाता है क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए खंड पीठ के निर्देश दिए गए थे और इस अपील में कुछ भी तय नहीं किया जाना है।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 243 आर और 243 एस-चाहे कला हो। 243 आर और कला। 243 भारत के संविधान के एस में कोई भी शामिल है

इस प्रभाव की सीमा कि एक वार्ड से केवल एक सदस्य होगा-आयोजितः कला के संवैधानिक प्रावधान। 243 आर, जो नगर पालिकाओं और कला की संरचना प्रदान करता है। 243 जेड. ए. इस बारे में कोई संकेत नहीं देता है कि क्या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी वार्डों से, क्या नगर पालिका में केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाना है या यह कई सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है-कला के प्रावधान में कोई सीमा नहीं है। 243 एस, जो एक वार्ड में बहु-सदस्य सीटों की आवश्यकता के लिए राज्य विधानमंडल को सीमित करता है-एकमात्र आवश्यकता यह है कि एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर पालिका का सदस्य वार्ड समिति का सदस्य होगा-इस प्रकार, संविधान की आवश्यकता या सीमा उप-अनुच्छेद (3) में अंकित है। 243 एस वह है जो नगरपालिका का एक सदस्य है जो एक का प्रतिनिधित्व करता है

वार्ड वार्ड समिति का सदस्य होगा, इसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह अनिवार्य है कि एक वार्ड से एक से अधिक सदस्यों को प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता है।

गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949-एस।

5 (3) (iii) (a), 29A-बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम (वार्डों का परिसीमन और आरक्षित सीटों का आवंटन) नियम, 1994-rr। 4 और 5-गुजरात नगर निगम की वार्ड समितियों के कार्य, कर्तव्य, क्षेत्रीय क्षेत्र और कार्य संचालन प्रक्रिया नियम, 2007-आर। 2 ((ख) के प्रावधान

एसएस। 5 (3) (iii) (ए), गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 का 29 ए और बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम के नियम 4 और 5

निगम (वार्डों का परिसीमन और आरक्षित सीटों का आवंटन) नियम, 1994 और गुजरात नगर निगम के परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य का नियम 2 (बी) v.

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

वार्ड समितियों के कार्य, कर्तव्य, प्रादेशिक क्षेत्र और व्यवसाय के लेन-देन के लिए प्रक्रिया नियम, 2007 इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

संविधान के अनुच्छेद 243 आर और 243 एस के प्रावधान? - आयोजित किया गयाः नगरपालिका की संरचना को कला द्वारा अलग से निपटाया गया है। 243 आर और नगरपालिका की संरचना के लिए, कला के प्रावधान। 243 एस को लागू या प्रदान करने का इरादा नहीं कहा जा सकता है

संरचना के संबंध में सीमा या निषेध

नगरपालिकाएँ-नियम, 2007 का नियम 2 (बी) जो अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार, बहु-सदस्य वार्ड के मामले में, अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है, जो दोनों कलाओं पर लागू हो सकता है। 243 नियम, 2007 की धारा (4) के साथ-साथ नियम 2 (बी)-इस प्रकार, नियम, 1994 के नियम 4 और 5 के साथ-साथ नियम, 2007 के नियम 2 (बी) किसी भी तरह से कला के अधिदेश की अवज्ञा नहीं करते हैं। 243 एस (4), दोनों का पालन दो अलग-अलग प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष के बिना किया जा सकता है-इस प्रकार, एस के प्रावधान। 5 (3) (iii) (ए) के साथ-साथ नियम, 1994 के नियम 4 और 5 और नियम, 2007 के नियम 2 (बी) नहीं हैं।

गुजरात वार्डों का परिसीमन और नगरपालिका बरो नियम, 1994 में आरक्षित सीटों का आवंटन-चाहे अधिक हों। एक वार्ड से एक से अधिक प्रतिनिधि कमजोर वर्गों, यानी महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण को नकारते हैं।

आयोजित किया गयाः गुजरात वार्डों का परिसीमन और का आवंटन

नगरपालिका बरो नियम, 1994 में आरक्षित सीटों को संशोधन नियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है-खंड 2 और 3 के अनुसार, अब यह 4 सदस्यीय वार्ड है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित की जानी हैं-इसका पूरा उद्देश्य और उद्देश्य कमजोर वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करना कमजोर वर्गों, यानी महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए है, जब कमजोर वर्गों के लिए अधिक संख्या आरक्षित है।

नगरपालिका में भागीदारी से उनकी आवाज और प्रभावी भागीदारी को बल मिलेगा जो कुछ और नहीं है

कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण-2015 में संशोधित नियम, 1994 द्वारा अब हर वार्ड से कमजोर वर्गों की आवाज को महसूस किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से कमजोर वर्गों की उपस्थिति और भागीदारी को बढ़ाता है। कमजोर वर्ग किसी भी तरह से सशक्तिकरण को नकारता नहीं है

कमजोर वर्गों के।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों का निपटारा करते हुए, यह न्यायालय

पकड़नाः 1. इन दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जा रहा हैः आई. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आर और अनुच्छेद 243 एस में इस प्रभाव की कोई सीमा है कि

एक वार्ड से केवल एक सदस्य?

ii. क्या गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) (क), 29 क के प्रावधान और बॉम्बे प्रांतीय म्यूनिसिपल निगमों के नियम 4 और 5

(वार्डों का परिसीमन और आरक्षित सीटों का आवंटन) नियम, 1994 और गुजरात नगर निगम की वार्ड समितियों के कार्य, कर्तव्य, क्षेत्रीय क्षेत्र और कार्य संचालन प्रक्रिया नियम, 2007 के नियम 2 (बी) संविधान के अनुच्छेद 243 आर और 243 एस के प्रावधानों के विपरीत हैं।

अनुच्छेद 245, जो विधायी वितरण से संबंधित है

शक्तियाँ, "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" शब्दों से शुरू होती हैं। इस प्रकार, संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 245 और 246 को एक साथ पढ़कर, यह बहुत स्पष्ट है कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधायी शक्ति, जैसा कि सातवीं अनुसूची की सूची I, सूची II और सूची III में गिना गया है, संविधान के प्रावधानों के अधीन है। इस प्रकार, जब संविधान में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से विधायी शक्ति के प्रयोग में कोई सीमा होती है, तो विधायी शक्ति ऐसी संविधान सीमाओं के अधीन होती है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 13 (2) में एक सीमा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन या कम कर दे और इस खंड का उल्लंघन करते हुए बनाई गई कोई भी कानून,

उल्लंघन की सीमा, शून्य हो। [पारस 22,32,33] [108-ए-सी; 111-जी-एच; 112-बी-डी]

2. अनुच्छेद 243ZF में यह प्रावधान है कि इससे संबंधित कोई भी कानून -

संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में लागू नगरपालिकाएं, जो भाग IXA के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य से एक वर्ष की समाप्ति के बाद जारी नहीं रहेंगी।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

संवैधानिक संशोधन की शुरुआत। इस प्रकार, संविधान के भाग IXA ने स्पष्ट रूप से विचार किया कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई भी विधि, जो भाग IXA के प्रावधानों के साथ असंगत है, एक वर्ष की समाप्ति पर या किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त होने तक, जो भी पहले हो, काम करना बंद कर देगी। इस प्रकार, संविधान के प्रावधानों में कहा गया है कि कोई भी

राज्य का कानून, जो असंगत है, जारी नहीं रह सकता है। इस प्रकार, यह सीमा संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम के प्रवर्तन के बाद बनाए गए किसी भी कानून को भी नियंत्रित करेगी। इस प्रकार, एक कानून, जो भाग IXA के साथ असंगत है, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। [पैरा 36] [113-एच; 114-ए-सी]

3. इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित "असंगत" अभिव्यक्ति के अर्थों में से एक पारस्परिक रूप से अप्रिय या विरोधाभासी है।

अदला-बदली से। यह पता लगाने के लिए कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि संविधान के भाग IXA के प्रावधानों के साथ असंगत है, इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांत किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता निर्धारित करने के लिए न्यायालय पर लाभप्रद रूप से भरोसा किया जा सकता है। इस प्रकार, इस न्यायालय को उन सिद्धांतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिन पर राज्य द्वारा बनाए गए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना का पता चलता है। [पैरा 38] [114-ई-जी]

4. भारत का संविधान एक सर्वोपरि कानून है जिसके अधीन अन्य सभी कानून हैं। यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक

असंगतता है या नहीं, इस तथ्य के संबंध में विधानमंडल के इरादे का पता लगाना है कि प्रभावी विधानमंडल ने अधीनस्थ विधानमंडल को राज्य अधिनियम के समान क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी थी और जब राज्य अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम एक दूसरे के पूरक होंगे तो कोई विसंगति नहीं होगी। चीजें तब असंगत होती हैं जब वे एक ही समय में एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं और एक कानून दूसरे कानून के साथ असंगत होता है, जब कानून में आदेश या शक्ति या प्रावधान सीधे दूसरे कानून में आदेश या शक्ति या प्रावधान के साथ संघर्ष करता है।

किसी विशेष विषय पर कानून बनाते हुए, सर्वोच्च विधानमंडल केवल कुछ विशिष्ट मामलों को शामिल करने का इरादा प्रकट कर सकता है और इसे शेष मामलों से निपटने के लिए राज्य विधानमंडल पर छोड़ सकता है। एक और पूर्वधारणा पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमेशा एक धारणा होती है कि विधानमंडल अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक नहीं है और न्यायालय को स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी अधिनियम के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। [पैरा 39] [114-एच; 115-ए-सी]

5. अनुच्छेद 243 आर के उप-अनुच्छेद (1) में दो संवैधानिक आवश्यकताएँ हैं: - ((i) नगरपालिका की सभी सीटों को इसके द्वारा भरा जाएगा -

प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति और (ii) राज्य क्षेत्र से

नगरपालिका क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 243 आर के उप-अनुच्छेद (2) में नगरपालिका में चार श्रेणियों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है जो एक संवैधानिक आवश्यकता है जिसे उनके द्वारा अपनाया जाना आवश्यक है।

राज्य विधानमंडल। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 243 आर का उप-अनुच्छेद (2) नगर पालिकाओं में सीटों से संबंधित नहीं है, जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाएगा। अनुच्छेद 243ZA नगरपालिकाओं के चुनावों से संबंधित, इस प्रकार, प्रत्यक्ष चुनाव, जैसा कि अनुच्छेद 243 आर के तहत विचार किया गया है, अनुच्छेद 243 जेडए के अनुसार होना चाहिए। [पैरा 49] [119-एफ-एच]

6. इस प्रकार, किसी राज्य के विधानमंडल को आम तौर पर चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी मामलों का प्रावधान करना होगा -

नगरपालिकाएँ, जिनमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा नगरपालिका में सीटों को भरना शामिल है। अनुच्छेद 243 आर और 243 जेडए इस बारे में कोई संकेत नहीं देते हैं कि क्या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी वार्डों से, क्या नगर पालिका में केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाना है या यह कई सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। अनुच्छेद 243 आर के संवैधानिक प्रावधान, जो नगर पालिकाओं और अनुच्छेद के गठन का प्रावधान करते हैं। 243 जेड. ए. उपरोक्त को कोई संकेत नहीं देता है। अनुच्छेद 243 जेड. जी. के प्रावधान, जो चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित हैं, कुछ प्रकाश डालते हैं। अनुच्छेद 243 जेडजी (ए) में दो अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है: परिसीमन से संबंधित कोई कानून

निर्वाचन क्षेत्र या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन को एक से अधिक सीटों के आवंटन के रूप में पढ़ा जा सकता है।

निर्वाचन क्षेत्र लेकिन यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त प्रावधान परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम।

यह प्रावधान नहीं है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटें हो सकती हैं। अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित है। [पैरा 50,51,52] [120-बी-डी, एफ-जी]

7. जब अनुच्छेद 243S के विस्तार और उद्देश्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है, तो इस न्यायालय को प्रावधान में ऐसी कोई सीमा नहीं मिलती है:

अनुच्छेद 243S, जो राज्य विधानमंडल को आवश्यकता के लिए सीमित करता है

एक वार्ड में बहु-सदस्य सीटें। अनुच्छेद 243S के उप-अनुच्छेद (3) की ओर लौटते हुए, आवश्यकता यह है कि वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर पालिका का कोई सदस्य वार्ड समिति का सदस्य होगा।

वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले समिति के सदस्य होते हैं, अनुच्छेद 243 एस (3) का कोई उल्लंघन नहीं होता है। [पैरा 53] [121-जी-एच; 122-ए-सी] 8. यह अदालत अब इस बात की जांच कर सकती है कि क्या एक वार्ड में कई सदस्य हैं, क्या अनुच्छेद 243 एस (4) के संवैधानिक प्रावधान हैं।

जब अध्यक्ष का चुनाव किया जाना होता है तो उनका उल्लंघन किया जाता है। आवश्यकता यह है कि वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा और यदि एक से अधिक सदस्य हैं और बहु-सदस्य वार्ड में से एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, तो अनुच्छेद 243S (4) का प्रावधान लागू होगा। जब अनुच्छेद 243S (4) (a) के तहत संवैधानिक प्रावधानों में बहु-सदस्य वार्ड के मामले में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रावधान नहीं है, तो इसे राज्य के कानून द्वारा पूरक किया जाता है। वर्तमान मामले में, इस अदालत ने देखा कि नियम, 2007 का नियम 2 (बी), जो प्रदान करता है कि वार्ड समिति का अध्यक्ष वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुना गया व्यक्ति है।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार नियम में अध्यक्ष के चुनाव पर विचार किया गया है।

वार्ड समिति के सदस्य, जो उस मामले में भी लागू होंगे जहां एक वार्ड से एक से अधिक सदस्य हैं। जब एक वार्ड में कई सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, तो अनुच्छेद का अधिदेश 243 एस (4) (ए) का अनुपालन किया जाता है। आवश्यकता यह है कि नगर पालिका में वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य होगा

अध्यक्ष। उपरोक्त प्रावधान को किसी भी निषेध या सीमा के प्रावधान में नहीं पढ़ा जा सकता है कि एक वार्ड में एक से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। नगरपालिका की संरचना को अनुच्छेद 243 आर द्वारा अलग से निपटाया गया है और इसकी संरचना के लिए

नगरपालिका, अनुच्छेद 243S के प्रावधानों को नहीं कहा जा सकता है

नगरपालिकाओं की संरचना के संबंध में कोई सीमा या निषेध लागू या प्रदान करने का इरादा। नियम, 2007 का नियम 2 (बी) जो अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार, बहु-सदस्य वार्ड के मामले में, अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है, जो नियम, 2007 के अनुच्छेद 243 एस (4) के साथ-साथ नियम 2 (बी) दोनों पर लागू हो सकता है। इस प्रकार, नियम, 1994 के नियम 4 और 5 के साथ-साथ नियम, 2007 के नियम 2 (बी) किसी भी तरह से अनुच्छेद 243 एस (4) के जनादेश की अवज्ञा नहीं करते हैं, दोनों का पालन दो अलग-अलग प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष के बिना किया जा सकता है। इस प्रकार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

धारा 5 (3) (iii) (a) के साथ-साथ नियम, 1994 के नियम 4 और 5 और नियम, 2007 के नियम 2 (b) निम्नलिखित प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं - अनुच्छेद 243S. [पैरा 55] [122-एफ-जी; 123-ए-डी]

9. इस न्यायालय ने अनुच्छेद 243 आर, 243 एस के प्रावधानों का विश्लेषण किया है और इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोई सीमा नहीं है।

अनुच्छेद 243S में पाया जा सकता है कि जिसमें एक वार्ड के लिए एक से अधिक सदस्य होने का कोई निषेध है। जब राज्य विधानमंडल को नगर पालिकाओं की संरचना के संबंध में कानून बनाने की प्रारंभिक शक्ति दी गई है, तो एक स्पष्ट या निहित सीमा होनी चाहिए, जो राज्य विधानमंडल को बहु-सदस्य वार्ड का प्रावधान करने वाला कानून बनाने से रोक सकती है। [पारस 59,61] [125-ई-एफ; 126-एफ-जी]

10. यह न्यायालय, वर्तमान मामले में, संविधान के भाग IXA के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद आया है

यह निष्कर्ष कि संविधान के भाग IXA में कोई निषेध या सीमा नहीं है जो राज्य विधानमंडल को परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य से प्रतिबंधित करती है।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

एक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात वार्ड से एक से अधिक सदस्यों के चुनाव के लिए प्रावधान करने वाला कानून बनाना। इस प्रकार यह न्यायालय प्रश्न संख्या का उत्तर देता है। I और II निम्नलिखित तरीके सेः

(2) अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) (a) और धारा 29A और नियम, 1994 के नियम 4 और 5 और अधिनियम के नियम 2 (b) के प्रावधान। नियम, 2007 संविधान के अनुच्छेद 243 आर और 243 एस के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। [पैरा 63] [127-डी-एफ]

(ग) एक से अधिक प्रतिनिधि होने पर भी

वार्ड कमजोर वर्गों, यानी महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण को नकारता है?

11. सीटों को आरक्षित करने का पूरा उद्देश्य और उद्देश्य

कमजोर वर्गों, यानी महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाना है, जब कमजोर वर्गों के लिए अधिक संख्या आरक्षित होती है, तो नगरपालिका में उनकी भागीदारी उनकी आवाज और प्रभावी भागीदारी को बल देते हुए बढ़ेगी जो कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के अलावा और कुछ नहीं है। यह न्यायालय इस दलील को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है कि जब केवल एक वार्ड से केवल एक प्रतिनिधित्व होता है तो कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण किया जा सकता है। 2015 में संशोधित नियम, 1994 द्वारा अब हर वार्ड से कमजोर वर्गों की आवाज को महसूस किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से कमजोर वर्गों की उपस्थिति और भागीदारी को बढ़ाता है और किसी भी तरह से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को नकारता नहीं है। यह

इस प्रकार, न्यायालय को उपरोक्त निवेदन में कोई सार नहीं मिलता है। यह न्यायालय निम्नलिखित तरीके से प्रश्न No.iii) का उत्तर देता हैः एक वार्ड से एक से अधिक प्रतिनिधित्व होना किसी भी तरह से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को नकारता है, बल्कि यह बढ़ता है

कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। [पारस 69,70] [129-जी-एच; 130-ए-सी]

iv) क्या बॉम्बे प्रांतीय नगर निगमों के संशोधन के लिए मसौदा नियम कब (वार्डों का परिसीमन और

आरक्षित सीटों का आवंटन) नियम, 1994 27.11.2014 पर जारी किए गए थे जिन्हें आपत्तियों को नोट करने के बाद प्रकाशित किया जाना था [2021] 13 एस. सी. आर.

तीस दिनों की समाप्ति पर या समाप्त होने पर, राज्य सरकार तीस दिनों की समाप्ति से पहले 04.12.2014 दिनांकित अधिसूचना जारी कर सकती थी?

12. उपरोक्त अधिसूचना के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उक्त अधिसूचना वार्डों के परिसीमन और आरक्षित सीटों के आवंटन (संशोधन) नियमों में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना थी।

2014 जिसमें नियम 4 में "तीन" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखने की मांग की गई थी। अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (iii) के उप-खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। दिनांकित 04.12.2014 अधिसूचना का एक नंगे अवलोकन इंगित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांकित 27.11.2014 अधिसूचना के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उक्त अधिसूचना वार्डों और पार्षदों की सीटों की संख्या के निर्धारण के संबंध में जारी की गई थी

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित। इस प्रकार, यह तर्क कि 30 दिनों की समाप्ति से पहले जारी अधिसूचना दिनांक 04.12.2014 पूरी तरह से गलत है। अपीलकर्ताओं ने स्वयं पेपर बुक के अनुलग्नक के रूप में 15.01.2015 दिनांकित एक अधिसूचना रिकॉर्ड पर लाई है जो दिनांकित 27.11.2014 अधिसूचना के संदर्भ में जारी की गई अधिसूचना है। [पारस 72,73 और 74] [132-सी-डी; 134-बी-सी]

13. इस प्रकार, दिनांक 27.11.2014 की अधिसूचना के संदर्भ में, अधिसूचना 15.01.2015, नियमों, अर्थात् बॉम्बे पर जारी की गई थी।

प्रांतीय नगर निगम (शहर में वार्डों का परिसीमन और आरक्षित सीटों का आवंटन) (संशोधन) नियम, 2015 जारी किए गए थे, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि आपत्तियां और

सरकार द्वारा मसौदे के अनुसरण में सुझावों पर विचार किया गया है। इस प्रकार, इस न्यायालय को उपरोक्त अधिसूचना में कोई कमजोरी नहीं मिलती है। [पैरा 75] [134-जी-एच]

सिविल अपील (2015 के एसएलपी (सी) No.30635 से उत्पन्न-राज्य चुनाव आयोग बनाम विरेंद्रसिंह माफाजी वाघेला और अन्य।)

15. गुजरात उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के दिनांक 21.10.2015 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिसके द्वारा

प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई। उच्च न्यायालय ने 2015 के अध्यादेश संख्या 3 को असंवैधानिक और अमान्य पाया। राज्य में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव को स्थगित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग की कार्रवाई को अवैध माना गया और इसे दरकिनार कर दिया गया। राज्य चुनाव आयोग को परमार् सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम को निर्देश दिया गया था।

राज्य

गुजरात और ओ. आर. एस.

स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें

तुरंत। नवंबर/दिसंबर, 2015 में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। डिवीजन बेंच के दिनांक 21.10.2015 के निर्देश को पूरा करने के बाद इस अपील में कुछ भी तय नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के विवादित निर्देश के अनुसरण में गठित स्थानीय निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, इस न्यायालय को इस अपील में उठाए गए मुद्दे में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है। इस प्रकार, अपील को निष्फल होने के कारण खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 78] [135 डी-एफ]

च. टीका रामजी और अन्य, आदि। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर 1956 एस. सी. 676: [1956] एस. सी. आर. 393; महाराज उमेग सिंह और अन्य। वी. बॉम्बे राज्य और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 540 [1955] एस. सी. आर. 164; जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य और अन्य। , (2017) 12 एससीसी 1: [2016] 10 एस. सी. आर. 1; दीप चंद और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। , आकाशवाणी 1959

एससी 648 [1959] पूरक। एस. सी. आर. 8; एम. करुणानिधि

बनाम भारत संघ और अन्र। , (1979) 3 एससीसी 431: [1979] 3 एससीआर 254; के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और एन. आर.

बनाम कर्नाटक राज्य, (2011) 9 एससीसी 1: [2011] 13

इसके बाद एस. सी. आर. 636 आया।

बस्ती शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र। , (1979) 2 एससीसी 88: [1979] 1 एससीआर 590; एम/एस। रामचंद्र माव लाल, वाराणसी और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश और ओआरएस। , (1984) पूरक। एससीसी 28: [1984] एससीआर

348 पर भरोसा किया।

मनोज नरूला बनाम। भारत संघ, (2014) 9 एस. सी. सी. 1: [2014] 9 एस. सी. आर. 965; आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनाम एल. वी. ए. दीक्षितुलु और अन्य। , (1979) 2 एससीसी 34: [1979] 1 एससीआर 26; एम. टी. खान और अन्य। वी. सरकार. ए. पी. और अन्य। , (2004) 2 एससीसी 267: [2004] 1 एस. सी. आर. 117; कर्नाटक बैंक लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और

ओआरएस। , (2008) 2 एससीसी 254: [2008] 1 एससीआर 986;

कासामभाई एफ. घनची बनाम चंदुभाई डी. राजपूत और

अन्य, (1998) 1 एससीसी 285: [1997] 5 पूरक। एससीआर 401

- संदर्भित किया गया।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंकजसिंह वाघेला बनाम। राज्य चुनाव आयोग

चुनाव आयुक्त और अन्य (विशेष नागरिक) के माध्यम से 2015 का आवेदन No.12084)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1956] एससीआर 393

पीछा किया।

पैरा

31

[1955] एससीआर 164

पीछा किया।

पैरा

33

[2016] 10 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा

34

[1979] 1 एससीआर 590

उस पर भरोसा करें

पैरा

37

[1959] पूरक। एस. सी. आर 8

पीछा किया।

पैरा

41

[1979] 3 एससीआर 254

पीछा किया।

पैरा

42

[1984] एससीआर 348

उस पर भरोसा करें

पैरा

43

[2011] 13 एससीआर 636

पैरा

44

पीछा किया।

[2014] 9 एससीआर 965

संदर्भित किया गया है

पैरा

56

[1979] 1 एससीआर 26

संदर्भित किया गया है

पैरा

60

[2004] 1 एससीआर 117

संदर्भित किया गया है

पैरा

62

[2008] 1 एससीआर 986

संदर्भित किया गया है

पैरा

62

[1997] 5 पूरक। एससीआर 401

पैरा

67

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 706

2021 से।

उच्च न्यायालय के 29.07.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 12084 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार की ओर से।

के साथ

के साथ 2020

की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 786

तुषार मेहता, एस. जी. कपिल सिब्बल, हरिन पी. रावल, मनिंदर सिंह,

सुश्री मनीषा लवकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। अनिरुद्ध शर्मा, अभैद पारिख। समीर स्वर्ण, कार्तिकेय कनौजिया, सुश्री सुकन्या सिंह, एलियो जोसेफ, आनंदो मुखर्जी, श्वेतांक सिंह, कोशी जॉन, सुश्री रंजीता रोहतगी प्रभास बजाज, सुश्री सामतेन डोमा, अनिरुद्ध पी. मयी, सुश्री आस्था परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

मेहता, कानू अग्रवाल, मौलिक नानावती, सुश्री दीपानविता प्रियंका, मैसर्स। ए पी एंड जे चैम्बर्स, सुश्री जेसल वाही, सुश्री हेमंतिका वाही, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. दीवानी अपील और रिट याचिका को टैग किया जा रहा है, तीनों मामलों की सुनवाई एक साथ की गई है।

3. हमें पहले मामले में तथ्यों और अभिवचनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात सिविल अपील (एसएलपी (सी) सं. 24950 2015 का-परमार सामंतसिंह उमेदसिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य।) . उपरोक्त अपील 2015 के विशेष नागरिक आवेदन संख्या 12084 में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 29.07.2015 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें पंकज सिंह वाघेला बनाम में 13.08.2010 के पहले के खंड पीठ के फैसले के बाद रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से

चुनाव आयुक्त और अन्य। रिट याचिका दायर की गई थी

इसमें अपीलार्थी ने गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (इसके बाद "अधिनियम, 1949" के रूप में संदर्भित) की धारा 5 (3) (iii) (ए) और धारा 29 ए के अधिकारों और इसके तहत बनाए गए नियमों और अधिसूचनाओं सहित अन्य वैधानिक प्रावधानों को चुनौती दी है। रिट याचिका में निम्नलिखित राहत का दावा किया गया थाः

" (ए) घोषणा का एक रिट जारी करें, जिसमें घोषणा की जाए किः

क) गुजरात प्रांतीय नगरपालिका की धारा 5 (3) (iii) (क) और 29 क

(संशोधन) अधिनियम, 2009 भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह एक सदस्य एक वार्ड जनादेश का उल्लंघन करता है।
(बी) घोषणा का एक रिट जारी करें, जिसमें घोषणा की जाए कि बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम (शहर में वार्डों का परिसीमन और आरक्षित सीटों का आवंटन) नियम, 1994 (2015 के संशोधन सहित) के नियम 4 और नियम 5 को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना गया है।

भारत से।

(ग) 2014 की अधिसूचना No.KV-194-ELE-102014-17010 P दिनांकित 04.12.2014 के साथ-साथ गुजरात राज्य द्वारा जारी अन्य अधिसूचना 15.01.2015 को अल्ट्रा [2021] 13 एस. सी. आर. घोषित करते हुए घोषणा पत्र जारी करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान और/या गुजरात स्थानीय प्राधिकरणों को अधिकार कानून (संशोधन) अधिनियम, 2009 और/या गुजरात प्रांतीय नगरपालिका

निगम अधिनियम, 1949।

(डी) राज्य चुनाव आयोग द्वारा धारा 5 (3) (iii) (बी) के तहत पारित 11.12.2014 दिनांकित आदेश को रद्द कर दें।

गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949।

(ई) प्रवेश, सुनवाई और अंतिम सुनवाई लंबित होने पर, गुजरात राज्य द्वारा जारी 2014 की अधिसूचना No.KV-194-ELE-102014-1701-P दिनांक 04.12.2014 के साथ-साथ गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) (b) के तहत राज्य चुनाव आयोग द्वारा पारित 11.12.2014 के आदेश पर रोक लगा दें।
(च) प्रवेश, सुनवाई और अंतिम सुनवाई लंबित होने पर अक्टूबर 2015 में होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए।

गुजरात राज्य में नगरपालिका।

((घ) लागत।

(ज) ऐसी अन्य और अधिक राहत या राहत जो उचित लगे,

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित।

4. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिका खारिज कर दी

यह देखते हुए कि पहले अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) (a) और धारा 29A (2) (a) और 29A (3) (a) के साथ-साथ बॉम्बे प्रांतीय नगर निगमों के नियम 4 (शहर में वार्डों का परिसीमन और

आरक्षित सीटों का आवंटन) नियम, 1994 को चुनौती दी गई और बरकरार रखा गया और रिट याचिका के मुद्दों को पंकज सिंह वाघेला बनाम के मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व खंड पीठ के फैसले में शामिल किया गया। राज्य चुनाव आयोग और अन्य, रिट याचिका को खारिज किया जाना है।

5. डिवीजन बेंच के दिनांकित फैसले के खिलाफ व्यथित

6. सिविल अपील (2015 के एसएलपी (सी) No.30635 से उत्पन्न) उच्च न्यायालय के दिनांकित डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। 21.10.2015 जिसके निर्णय द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दायर 2015 के विशेष नागरिक आवेदन No.16313 को अनुमति दी गई है। परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य द्वारा 2015 के अध्यादेश संख्या 3 के खंड (3), (4) और (5) में दायर रिट याचिका में v.

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

गुजरात के राज्यपाल चुनौती के घेरे में थे। गुजरात राज्य में पंचायतों के चुनाव कराने की तारीखों की घोषणा करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई थी। उसी तारीख को जब 2015 का अध्यादेश संख्या 3 जारी किया गया था, जिसके द्वारा गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 7 ए, गुजरात नगरपालिका अधिनियम, 1963 की धारा 8 ए और गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 की धारा 257 को प्रतिस्थापित किया गया था, राज्य चुनाव आयोग द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि 6 नगर निगमों, 53 नगर पालिकाओं, 3 नवगठित नगर पालिकाओं, 23 तालुका पंचायतों और 31 जिला पंचायतों के चुनाव जो अक्टूबर/नवंबर, 2015 में होने थे, वर्तमान में आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया था। डिवीजन बेंच ने रिट याचिका का निपटारा किया था

पैराग्राफ 72 में अपने निष्कर्ष को दर्ज करना जो निम्नलिखित प्रभाव का थाः

" 72.उपरोक्त टिप्पणियों और चर्चाओं को देखते हुए, निम्नलिखित

निष्कर्ष निकालनाः

(क) 2015 के अध्यादेश संख्या 2 द्वारा अंतःस्थापित गुजरात पंचायत अधिनियम की धारा 15 (1) को इस तरह से पढ़ा जाता है कि चुनाव आयुक्त को कम से कम चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

संबंधित पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले ताकि नवनिर्वाचित निकाय पहली बैठक आयोजित कर सके और निवर्तमान निर्वाचित निकाय को बदलकर शक्ति ग्रहण कर सके। अगर धारा 15 (1) की व्याख्या और उसके अनुसार पढ़ा नहीं जाता है, धारा 15 (1)

यह असंवैधानिक और अमान्य होगा।

यदि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 45 दिन पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने में विफलता होती है, तो इससे प्रभावित कोई भी नागरिक राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ उचित निर्देश की मांग के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ख) जी. पी. एम. सी. अधिनियम की धारा 7 ए, 89 के पृष्ठ 86 की धारा 8 ए इस पर डाउनलोड की गईः शनिवार 20 फरवरी 15: 44: 28 आईएसटी 2021 सी/एससीए/16313 /

2015 सी. ए. वी. न्याय नगरपालिका अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम की धारा 257

2015 के अध्यादेश संख्या 3 द्वारा लाया गया अधिनियम माना जाता है -

असंवैधानिक और अमान्य।

(ग) राज्य में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव को स्थगित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग की कार्रवाई को अवैध माना जाता है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है। उत्तरदाता संख्या 2 निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया है [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करना।

उत्तरदाता संख्या 1 राज्य सरकार को आवश्यक पुलिस बल और आरक्षित बल या कोई अन्य बल प्रदान करने सहित सभी सहयोग और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसकी मांग की जा सकती है। चुनाव आयोग द्वारा
जल्द से जल्द चुनाव सुनिश्चित करने के लिए

एक स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में "।

7. उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित राज्य चुनाव आयोग इस अपील में आया है।

8. 2020 की रिट याचिका (सी) No.786 गुजरात के राज्यपाल द्वारा 2020 में जारी की गई दिनांकित 08.07.2020 अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) (a) के तहत वार्डों की संख्या, अनुसूचित के लिए आरक्षित सीटों सहित सीटों का निर्धारण करने की शक्ति का प्रयोग

वडोदरा प्रांतीय निगम, अहमदाबाद प्रांतीय निगम, भावनगर की जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग और महिलाएँ

प्रांतीय निगम, गांधीनगर प्रांतीय निगम, जामनगर प्रांतीय निगम, राजकोट प्रांतीय निगम और सूरत प्रांतीय निगम

निगम। अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) (a) और 29A को असंवैधानिक घोषित करने वाले लिखित आदेश या घोषणा के लिए भी अनुरोध किया गया था। अनुभाग 5 (3) (iii) (a) और 29A, नियम 4 और नियम 5, जैसा कि 2015 में संशोधित किया गया था, को भी चुनौती दी गई है। अधिसूचना दिनांक 04.12.2015 के साथ-साथ

15.01.2015 गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा 2 और 3 को चुनौती देने सहित चुनौती देने की भी मांग की गई थी। इस न्यायालय के दिनांक 25.08.2020 के आदेश द्वारा रिट याचिका को SLP (C) No.24950/2015 से उत्पन्न सिविल अपील के साथ टैग किया गया है।

9. हमने श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री हरिन पी. रावल, विद्वान वरिष्ठ वकील को पहली अपील में उपस्थित होते हुए सुना है।

और अपीलार्थियों और याचिकाकर्ता के लिए रिट याचिका।

10. हमने राज्य चुनाव द्वारा दायर अपील में अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह को सुना है।

आयोग। गुजरात राज्य की ओर से विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मनीषा लवकुमार को सुना गया है। 11. श्री कपिल सिब्बल ने पहले मामले में अपीलार्थियों की ओर

से दलीलों का नेतृत्व किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आर और 243 एस के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि संवैधानिक परमार् सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

योजना नगर निगम/नगर पालिका में एक वार्ड से बहु सदस्य प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं देती है। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद 243 एस उपखंड (3) और उपखंड (4) में "एक सदस्य और सदस्य" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जो इंगित करता है कि एक वार्ड से नगर पालिका में केवल एक सदस्य हो सकता है। इसी तरह, अधिनियम, 1949 की धारा 29 ए उपखंड 2 संविधान के अनुच्छेद 243 एस के साथ असंगत है। वह प्रस्तुत करता है कि अनुच्छेद 243 आर एक बहु-सदस्य वार्ड पर विचार/आदेश नहीं देता है।

12. श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि लोकसभा के मामले में संसद के एक सदस्य का चुनाव एक इकाई से होना है।

एक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व। इसी तरह, विधानसभा के मामले में केवल एक सदस्य को एक निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 243S आदेश देता है कि एक वार्ड से केवल एक सदस्य चुना जाए और यह एक ही वार्ड से एक से अधिक सदस्यों को चुने जाने की अनुमति नहीं देता है और विवादित प्रावधान और अधिसूचनाएं संविधान के अनुच्छेद 243S में निहित इस मुख्य संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नगर निगम का चुनाव होना चाहिए

राज्य विधान सभा के समान तरीके से संचालित किया जाता है, जिसमें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जाता है और उससे अधिक नहीं। इसके अलावा, अनुच्छेद 243 आर की व्याख्या भारत के संविधान में निहित अन्य संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए राज्य विधानमंडल को व्यापक, दिशाहीन और अनियंत्रित शक्तियां देने के लिए नहीं की जा सकती है। राज्य विधानमंडल को प्रतिनिधित्व के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है नगरपालिका और वार्ड समितियों की संरचना और क्षेत्रीय क्षेत्र और जिस तरह से सीटें भरी जानी हैं। हालाँकि, विधायी शक्तियों के अपने प्रयोग में, राज्य विधानमंडल संवैधानिक सिद्धांतों और जनादेश का उल्लंघन करने वाले कानून नहीं बना सकता है।

13. श्री सिब्बल ने कहा कि संविधान के भाग IXA के प्रावधानों की व्याख्या करते समय विषयगत स्थिरता होनी चाहिए। द.

संविधान का विषयगत प्रवाह एक वार्ड निर्वाचन क्षेत्र/प्रतिनिधित्व इकाई से केवल एक सदस्य के चुनाव का है। बहु-सदस्य

वार्ड से प्रतिनिधित्व दलितों और महिलाओं के सशक्तिकरण के सिद्धांत के खिलाफ है। एक सदस्य वार्ड महिलाओं/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विशेष प्रतिनिधित्व को सक्षम बनाता है जिसके परिणामस्वरूप सशक्तिकरण हो सकता है जो एक बहु सदस्य वार्ड द्वारा प्राप्त किया गया। श्री सिब्बल ने आगे कहा कि संविधान की एक समग्र योजनाबद्ध व्याख्या को आगे बढ़ाना होगा। श्री सिब्बल ने कहा कि संविधान में आने वाले शब्द [2021] 13 एस. सी. आर. होने चाहिए।

उनके सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ में पढ़ें। अनुच्छेद 243 एस (4) के शब्दों का अर्थ होगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एस (4) में साधारण भाषा और आशय में शब्दों को जोड़ना।

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एकवचन को अनुच्छेद 243S में बहुवचन नहीं पढ़ा जा सकता है। सामान्य खंड अधिनियम की प्रयोज्यता इन तक सीमित है - स्वयं अनुच्छेद 367 द्वारा भारत के संविधान की व्याख्या। इनमें से एक

श्री सिब्बल ने कहा कि परिसीमन नियम, 1994 के संशोधन के लिए मसौदा नियम, 1994 को मसौदा नियम, 1994 के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए जारी किया गया था। हालाँकि, 30 दिनों की समाप्ति से पहले 04.12.2014 पर अधिसूचना जारी की गई थी जो कानून के अनुसार नहीं है।

15. श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि नगरपालिका कानून जो प्रचलित हैं

28 राज्यों में एक वार्ड से एक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है जबकि गुजरात में नगरपालिका कानूनों में बहु-सदस्य वार्ड का प्रावधान है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बॉम्बे के नगरपालिका कानूनों में जो अब 2019 में बहु-सदस्य वार्ड का प्रावधान करता है, यह एक सदस्य प्रतिनिधित्व में वापस आ गया है।

16. श्री हरिन पी. रावल ने श्री कपिल सिब्बल के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि शब्द स्पष्ट हैं तो शाब्दिक व्याख्या का नियम होगा

आवेदन करें। वे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1949 की धारा 29 ए संविधान के अनुच्छेद 243 एस के साथ असंगत है। श्री रावल ने आगे कहा कि दिनांकित 27.11.2014 अधिसूचना के संदर्भ के बिना, अधिसूचना दिनांकित है। 04.12.2014 प्रकाशित किया गया था जो शक्ति का एक रंगीन अभ्यास है।

17. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि गुजरात में हमेशा बहु-सदस्य वार्ड होते थे। श्री मेहता प्रस्तुत करते हैं

कि किसी अधिनियम को (1) मूल अधिकार से परे के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, अर्थात, योग्यता; (2) प्रक्रियात्मक अति अधिकार; (3) अति अधिकार और

मनमानी और (4) संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। वे प्रस्तुत करते हैं कि संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 सूची II के तहत, "राज्य विधानमंडल सरकारों पर स्थानीय कानून बनाने के लिए सक्षम है। श्री तुषार मेहता प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद 243S के उपखंड (4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सदस्य" का उपयोग अध्यक्ष के संदर्भ में किया जाता है।

अनुच्छेद 243S में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक वार्ड के लिए केवल एक सदस्य होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित है और इसके प्रावधान वार्ड समितियों के गठन और संरचना तक ही सीमित होने चाहिए और इसे नगर पालिका के गठन और संरचना के संदर्भ में नहीं पढ़ा जा सकता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद 243 टी के संवैधानिक प्रावधान में अनुसूचित

जातियों के लिए सीटों के आरक्षण पर विचार किया गया है और परमार् सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

अनुसूचित जनजातियों को सीट के हिसाब से होना चाहिए न कि वार्ड के हिसाब से। 50 प्रतिशत आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। आरक्षित श्रेणी के लिए सीटों में वृद्धि एससी/एसटी और इन लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है।

महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले प्रावधानों को किसी भी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है। 2015 में किए गए संशोधनों से प्रत्येक वार्ड में दो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और नगर पालिका में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। 18. अनुच्छेद 243 आर के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री मेहता ने कहा कि यह अनुच्छेद 243 आर है जो नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है और इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

एक वार्ड से एक से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने में संवैधानिक प्रावधान में निषेध। संविधान के अनुच्छेद 357 के आधार पर संविधान के प्रावधान की व्याख्या में एकवचन को बहुवचन के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि संविधान किसी भी विषयगत तरीके और तरीके का प्रावधान नहीं करता है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव पूरी तरह से अलग है। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है जबकि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका पूरी तरह से अलग है। यहां तक कि संसद में भी कोई विषयगत योजना नहीं है।

20. अनुच्छेद 243 डी और 243 टी की व्यापक योजना निर्वाचित लोगों की संरचना में सामाजिक विविधता का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है। स्थानीय निकाय ताकि समाज में पारंपरिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में योगदान दिया जा सके। इस नीति को आगे बढ़ाने का पसंदीदा साधन एससी/एसटी, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के पक्ष में सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण है।

21. पक्षों के विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा किया है जिन्हें प्रस्तुतिकरण पर विस्तार से विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा। 22. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों से निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आर और अनुच्छेद 243 एस में इस प्रभाव की कोई सीमा है कि

एक वार्ड से केवल एक सदस्य?

(2) क्या गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) (ए), 29 ए और बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम के नियम 4 और 5 (वार्डों का परिसीमन और आरक्षित सीटों का आवंटन) नियम, 1994 और गुजरात नगर निगम के वार्ड के नियम 2 (बी) के प्रावधान हैं।

समितियाँ कार्य, कर्तव्य, क्षेत्रीय क्षेत्र और

व्यवसाय लेन-देन नियम, 2007 की प्रक्रिया अनुच्छेद 243 आर और 243 एस के प्रावधानों के लिए अतिसंवेदनशील है।

संविधान?

(3) क्या एक वार्ड से एक से अधिक प्रतिनिधि होना कमजोर वर्गों यानी महिलाओं के सशक्तिकरण को नकारता है,

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति?

(4) क्या मसौदा बॉम्बे के संशोधन के लिए कब नियम बनाता है

प्रांतीय नगर निगम (वार्डों का परिसीमन और आरक्षित सीटों का आवंटन) नियम, 1994 को जारी किया गया था

27.11.2014 जिन्हें नोट करने के बाद प्रकाशित किया जाना था

आपत्तियों पर या तीस दिनों की समाप्ति पर, राज्य सरकार समाप्ति से पहले अधिसूचना दिनांक 04.12.2014 जारी कर सकती थी।

तीस दिनों का?

प्रश्न संख्या। 1 और 2

23. इन दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जा रहा है।

ई. डी. पहले प्रासंगिक संवैधानिक के साथ-साथ सांविधिक पर भी ध्यान देगा।

जो हमारे सामने विचार के लिए हैं। के प्रावधान

उजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 और नियम

इसके तहत चुनौती दी जा रही है। सूची 2 की प्रविष्टि 5 यानी सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची को चुनौती देने योग्य विधान

संविधान। प्रविष्टि 5 इस प्रकार हैः

" 5. स्थानीय सरकार, अर्थात, नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन निपटान प्राधिकरणों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का गठन और शक्तियाँ। स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन का उद्देश्य।

24. संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा, भारत के संविधान में भाग "नगर पालिकाओं" को जोड़ा गया है।

परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

1991 का विधेयक No.159 लोकसभा में नया भाग IXA डालने के लिए पेश किया गया था। 16.09.1991 पर राजपत्र में प्रकाशित इस विधेयक में संविधान में भाग IXA को शामिल करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण शामिल है। उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ 3 (बी) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

" 3 .

XXXXXXXXXXXX

ख) नगर पालिकाओं की संरचना, जो इसके द्वारा तय की जाएगी

किसी राज्य का विधानमंडल, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंः ((i) प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति;

((ii) वार्ड में समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो,

नगरपालिकाओं में या अन्य स्तरों पर;

((ग) विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व या

नगर पालिकाओं में नगरपालिका प्रशासन का अनुभव (बिना

मतदान अधिकार);

XXXXXXXXXXXX "

25. संविधान के भाग IXA के प्रावधान, जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हैं, वे हैं अनुच्छेद 243P, 243R, 243S, 243ZA और 243ZG, जिन पर इसके बाद ध्यान दिया जाएगा। अपीलार्थी ने अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) उपखंड (क) को भी चुनौती दी है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 5 . XXXXXXXXXXXXXXX

(3) जहाँ इसके तुरंत बाद आम चुनाव होना है,

XXXXXXXXXXXXXXX

((ग) किसी शहर की सीमाएँ बदल दी जाती हैं,

(क) राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन वार्डों की संख्या निर्धारित करेगी जिनमें शहर को विभाजित किया जाएगा, जिसमें निर्वाचित होने वाले पार्षदों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

निगम और इसके पक्ष में आरक्षित सीटों की संख्या

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग

और इस धारा में प्रावधान के अनुसार महिलाएँ, और

XXXXXXXXXXXXX "

26. अधिनियम, 1949 की धारा 29 ए, जिसे भी चुनौती दी गई है, निम्नलिखित प्रभाव से प्रभावी हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 29 ए. वार्ड समिति की संरचना। - (1) कहाँ? शहर की जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, वहाँ होगा नगर निगम द्वारा गठित, बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार वार्ड समिति या समितियों द्वारा एक के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्डों से मिलकर निगम।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति में शामिल होंगे -

(क) एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के पार्षद वार्ड समिति के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर;

***] :

[* * * *

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा नियुक्त, और वार्ड समिति का सदस्य होने के लिए, यदि इस अधिनियम या उस समय के लिए किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत लागू होने पर, वह निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, और पार्षद होने के लिए।

(3) वार्ड समिति अपनी पहली बैठक में इसके बाद उप-धारा (1) के तहत संविधान और इसकी पहली बैठक में प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी महीने चुनाव किया जाएगा,

जहाँ वार्ड समिति में शामिल हैं -

(क) एक वार्ड, उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद निगम; या

(ख) दो या दो से अधिक वार्ड, पार्षदों में से एक

द्वारा निर्वाचित निगम में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करना वार्ड समिति के सदस्य, के अध्यक्ष होंगे

उस समिति को।

XXXXXXXXXXXX "

27. बॉम्बे प्रांतीय नगर निगमों के नियम 4 और 5

शहर में वार्डों का परिसीमन और आरक्षित सीटों का आवंटन) §1994, जैसा कि 2015 के संशोधन से पहले मौजूद था, इस प्रकार हैं:

" 4. सभी वार्ड तीन के साथ बहु-सदस्य वार्ड होंगे।

प्रत्येक वार्ड से पार्षदों का चुनाव किया जाएगा।

5. प्रत्येक वार्ड में एक सीट आरक्षित होगी।

महिलाएँ (महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग) और परमार् सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम।

एक सीट अनारक्षित रहेगी। शेष तीसरी सीट हो सकती है

आरक्षण की आवश्यकता के आधार पर आरक्षित किया जाए उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित।

28. एक और नियम जिसे हमारे सामने चुनौती दी गई है, वह है गुजरात नगर निगम।

वार्ड समितियाँ कार्य, कर्तव्य, प्रादेशिक क्षेत्र और कार्य संचालन प्रक्रिया नियम, 2007। नियम 2 (बी) प्रदान करता हैः

" 2 (ख) "अध्यक्ष" से वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा उसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए व्यक्ति अभिप्रेत हैं। समिति; "

29. धारा 5 (3) के साथ-साथ नियम, 1994 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई है। राज्य की विधायी शक्ति का दायरा और दायरा विचाराधीन होने के कारण, हमें पहले विधायी प्रविष्टि की व्याख्या के नियमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 30. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूचियों में निहित विधायी प्रविष्टियों को संविधान में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

संकीर्ण या प्रतिबंधित तरीके से और प्रविष्टियों में आने वाले प्रत्येक सामान्य शब्द को सभी सहायक या सहायक मामलों में लागू किया जाना चाहिए।

जिसे इसमें निष्पक्ष और तर्कसंगत रूप से समझा जा सकता है। विधायी शक्ति प्रदान करने वाली सूची में एक प्रविष्टि का अर्थ लगाने के लिए, उनके सामान्य अर्थ के अनुसार व्यापक संभव निर्माण को उसमें उपयोग किए गए शब्दों पर रखा जाना चाहिए।

31. हम च में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। टीका रामजी और अन्य, आदि। बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

और अन्य, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 676 जहाँ एक विधायी प्रविष्टि की व्याख्या के लिए सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में गिना गया हैः

" सूचियों में प्रत्येक प्रविष्टि जो कानून के विषय की एक श्रेणी या प्रमुख है, का अर्थ संकीर्ण या प्रतिबंधित अर्थों में नहीं बल्कि यथासंभव व्यापक रूप से किया जाना चाहिए ताकि सभी सहायक या सहायक मामलों तक विस्तार किया जा सके जो निष्पक्ष और उचित रूप से हो सकते हैं।

कहा जाता है कि इसमें समझा जाता है।

32. अनुच्छेद 245, जो विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है

"इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" शब्दों से शुरू होता है। इस प्रकार, संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए। अनुच्छेद 245 (1) इस प्रकार हैः

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 245. संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार और

राज्यों के विधानमंडल। - (1) इसके प्रावधानों के अधीन संविधान, संसद संपूर्ण या किसी के लिए कानून बना सकती है।

भारत के राज्यक्षेत्र का भाग और किसी राज्य का विधानमंडल

पूरे राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाएँ। 33. अनुच्छेद 246 द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय-वस्तु से संबंधित है

संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा। अनुच्छेद 245 और 246 को एक साथ पढ़कर, यह बहुत स्पष्ट है कि विधायी शक्ति

सातवीं अनुसूची की सूची I, सूची II और सूची III में उल्लिखित संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं। इस प्रकार, जब संविधान में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से विधायी शक्ति के प्रयोग में कोई सीमा होती है, तो विधायी शक्ति ऐसी संविधान सीमाओं के अधीन होती है। उदाहरण के लिए, लेख

13 (2) इसमें एक सीमा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग III और इसमें बनाए गए किसी भी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन या कम कर दे।

इस खंड का उल्लंघन, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगा। महाराज उमेग सिंह और अन्य के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 540 यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को केवल संविधान में निहित स्पष्ट निषेध द्वारा सीमित किया जा सकता है। पैराग्राफ 12 और 13 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

..... की विधायी क्षमता

“ 12. .....

राज्य विधानमंडल को केवल स्पष्ट निषेध द्वारा सीमित किया जा सकता है।

संविधान में कोई प्रावधान जो स्पष्ट रूप से कानून को प्रतिबंधित करता है इस विषय पर या तो पूरी तरह से या सशर्त, कोई बंधन नहीं है

या पूर्ण शक्तियों पर सीमा जो राज्य विधानमंडल

2 और 3 की सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का आनंद लेता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची।

13. की विधायी शक्ति पर बंधन या सीमा

संविधान की सातवीं अनुसूची केवल लागू की जा सकती थी स्वयं संविधान द्वारा और किसी भी दायित्व द्वारा नहीं जो था

डोमिनियन सरकार या प्रांत द्वारा किया गया बम्बई या बम्बई राज्य भी। अनुच्छेद 246 के तहत

राज्य विधानमंडल को परमार् सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में सूचीबद्ध विषय और यह शक्ति अनुच्छेद 245 (1) के आधार पर थी।

संविधान के प्रावधानों के लिए।

संविधान ने स्वयं इस शक्ति पर बाधाओं या सीमाओं को निर्धारित किया है जैसे कि अनुच्छेद 303 या अनुच्छेद 286 (2)। लेकिन जब तक और जब तक अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि संविधान स्वयं

इस विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति को पूरी तरह या सशर्त रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।

अपनी विधायी क्षमता के भीतर कानून पूर्ण था। एक बार जब विधान का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और 3 की किसी भी प्रविष्टि के भीतर शामिल हो जाता है, तो ऐसी विधायी शक्ति पर बंधन या सीमा संविधान के भीतर ही पाई जानी चाहिए और यदि वहां ऐसी कोई बाधा या सीमा नहीं पाई जाती है, तो राज्य विधानमंडल को विवादित अधिनियम को लागू करने की पूरी क्षमता थी, चाहे वह अधिनियम दी गई गारंटी के विपरीत हो, या डोमिनियन सरकार या बॉम्बे प्रांत या यहां तक कि बॉम्बे राज्य द्वारा किए गए दायित्व के विपरीत हो।

XXXXXXXXXXXX "

34. न्यायमूर्ति आर. भानुमति ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और ए. एन. आर. में एक संविधान पीठ में अपनी अलग राय में कहा। बनाम हरियाणा राज्य और ओआरएस। , (2017) 12 एस. सी. सी. 1 पैराग्राफ 316 में निम्नलिखित रूप से निर्धारित हैः

" 316. उमेग सिंह बनाम। बॉम्बे राज्य [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 540], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि राज्य की अपनी विधायी क्षमता के भीतर कानून बनाने की शक्ति पूर्ण है और इस पर व्यक्त सीमा के अभाव में इसमें कटौती नहीं की जा सकती है।

स्वयं संविधान में ऐसी शक्ति, उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर कर लगाने के लिए राज्य की विधायी शक्तियों पर कोई स्पष्ट निषेध नहीं है। कर राज्य की जीवनदायिनी होने के कारण, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है

निहितार्थ द्वारा "।

35. उपरोक्त निर्णय से जो अनुपात निकाला जा सकता है, वह यह है कि राज्य की अपनी विधायी क्षमता के भीतर कानून बनाने की शक्ति है -

संविधान में ही ऐसी शक्ति पर व्यक्त सीमा के अभाव में पूर्ण और उसी में कटौती नहीं की जा सकती है।

36. अनुच्छेद 243ZF में यह प्रावधान है कि [2021] 13 एस. सी. आर. के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में लागू नगर पालिकाओं से संबंधित कोई भी कानून।

संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992, जो भाग IXA के प्रावधानों के साथ असंगत है, संवैधानिक संशोधन के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के बाद जारी नहीं रहेगा। इस प्रकार, संविधान के भाग IXA ने स्पष्ट रूप से विचार किया कि कोई भी कानून

राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया, जो भाग IXA के प्रावधानों के साथ असंगत है, एक वर्ष की समाप्ति पर या तब तक काम करना बंद कर देगा जब तक कि

किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त किया गया, जो भी पहले हो। इस प्रकार, संविधान के प्रावधानों में कहा गया है कि राज्य का कोई भी कानून, जो असंगत है, जारी नहीं रह सकता है। इस प्रकार, यह सीमा संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम के प्रवर्तन के बाद बनाए गए किसी भी कानून को भी नियंत्रित करेगी। इस प्रकार, एक कानून, जो भाग IXA के साथ असंगत है, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं बनाया जा सकता है।

37. "असंगत" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय बस्ती में

शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र। , (1979) 2 एस. सी. सी. 88 जहाँ पैराग्राफ 23 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" असंगत

",

" 23 .....

ब्लैक के कानूनी शब्दकोश के अनुसार, इसका अर्थ है "पारस्परिक रूप से"

घृणित या विरोधाभासी; इसके विपरीत, एक से दूसरे के लिए ताकि

दोनों खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक की स्वीकृति या स्थापना के निरसन या परित्याग का तात्पर्य है

अन्य "...

38. अभिव्यक्ति के अर्थों में से एक "असंगत" जैसा कि अनुमोदित है

इस न्यायालय द्वारा पारस्परिक रूप से प्रतिकूल या विरोधाभासी है। संविधान के अनुच्छेद 254 में "संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति" शीर्षक शामिल है। जबकि अनुच्छेद 254 (1) और अनुच्छेद 254 (2) के तहत उपयोग किए गए शब्द अप्रिय हैं। इस प्रकार, संविधान ने स्वयं विसंगति और तिरस्कार शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया है। यह पता लगाने के लिए कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि संविधान के भाग IXA के प्रावधानों के साथ असंगत है, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि और संसद द्वारा बनाई गई विधि के बीच प्रतिकूलता निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों पर लाभप्रद रूप से भरोसा किया जा सकता है। इस प्रकार, हमें उन सिद्धांतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है

जिन पर राज्य द्वारा बनाए गए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून की असंवेदनशीलता का पता चलता है।

39. भारत का संविधान एक सर्वोपरि कानून है जिसके लिए सभी

अन्य कानून विषय हैं। यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक यह है कि विधानमंडल परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम के इरादे का पता लगाना है।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

इस तथ्य के संबंध में कि प्रभावी विधानमंडल ने अधीनस्थ विधानमंडल को राज्य अधिनियम के समान क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी और जब राज्य अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम लागू होंगे तो कोई विसंगति नहीं होगी।

एक-दूसरे के पूरक। चीजें तब असंगत होती हैं जब वे एक ही समय में एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं और एक कानून दूसरे कानून के साथ असंगत होता है, जब कानून में आदेश या शक्ति या प्रावधान सीधे दूसरे कानून में आदेश या शक्ति या प्रावधान के साथ संघर्ष करता है। किसी विशेष विषय पर विधान बनाते समय, सर्वोपरि विधानमंडल केवल कुछ विशिष्ट मामलों को शामिल करने का इरादा प्रकट कर सकता है और इसे शेष मामलों से निपटने के लिए राज्य विधानमंडल पर छोड़ सकता है। एक और पूर्वधारणा पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमेशा एक धारणा होती है कि विधानमंडल अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक नहीं है और न्यायालय को इस मामले में सुलह करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।

प्रत्यक्षतः परस्पर विरोधी अधिनियमन के प्रावधान। इस न्यायालय में च। टीका रामजी और अन्य, आदि। बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 676 को राज्य विधान, यू. पी. गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और केंद्रीय विधान अर्थात् उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के बीच प्रतिकूलता पर विचार करने का अवसर मिला। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तिरस्कार पर विचार किया जाना चाहिए

जब संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि एक ही क्षेत्र में आती है। इस न्यायालय ने अनुमोदन के साथ तीन परीक्षणों को उद्धृत किया जैसा कि निकोलस ने अपने ऑस्ट्रेलियाई संविधान में संदर्भित किया था और एक परीक्षण जिसे इसाक, जे. ने निर्णय के पैराग्राफ 27 और 28 में संदर्भित किया था, जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

" 27. निकोलस अपने ऑस्ट्रेलियाई संविधान, द्वितीय संस्करण में। , पी। 303 , असंगति या प्रतिकूलता के तीन परीक्षणों को संदर्भित करता है:

(1) की वास्तविक शर्तों में विसंगति हो सकती है

प्रतिस्पर्धी क़ानून (आर. वी. ब्रिस्बेन लाइसेंसिंग कोर्ट, [1920] 28 सी. एल. आर. 23)। (2) हालांकि कोई सीधा संघर्ष नहीं हो सकता है, एक राज्य कानून निष्क्रिय हो सकता है क्योंकि राष्ट्रमंडल कानून, या पुरस्कार

राष्ट्रमंडल न्यायालय का, एक पूर्ण होने का इरादा है

संपूर्ण कोड (क्लाइड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड v. काउबर्न, [1926] 37 सीएलआर 466)।

(3) इरादे के अभाव में भी, एक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है जब राज्य और राष्ट्रमंडल दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं

एक ही विषय पर-पदार्थ (विक्टोरिया बनाम। राष्ट्रमंडल, [1937] [2021] 13 एस. सी. आर

58 सीएलआर 618; वेन बनाम। अटॉर्नी-जनरल (विक्ट), [1948] 77 सीएलआर

84)

28. इसाक्स, जे. क्लाइड इंजीनियरिंग कंपनी में,

सीमित वी। काउबर्न [(1926) 37 सी. एल. आर. 466,489] ने विसंगति के एक परीक्षण को निर्णायक के रूप में निर्धारित कियाः यदि, तथापि, एक सक्षम विधायिका स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कवर करने के अपने इरादे को प्रकट करती है

पूरा क्षेत्र, यह विसंगति की एक निर्णायक परीक्षा है जहां कोई अन्य विधानमंडल उसी क्षेत्र में किसी भी हद तक प्रवेश करने का अनुमान लगाता है।

40. इस न्यायालय ने राज्य विधान के साथ-साथ केंद्रीय विधान के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद कहा कि इनमें से कोई भी प्रावधान ओवरलैप नहीं करता है, केंद्र कुछ प्रावधानों के संबंध में चुप है, जो

राज्य द्वारा अधिनियमित किए गए हैं, इसलिए कोई प्रतिकूलता नहीं पाई गई।

पैराग्राफ 36 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" (36) . XXXXXXXXXXXXXX

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इनमें से कोई भी प्रावधान ओवरलैप नहीं करता है,

राज्य द्वारा अधिनियमित किए गए कुछ प्रावधानों के संबंध में केंद्र चुप है और राज्य द्वारा अधिनियमित किए गए कुछ प्रावधानों के संबंध में चुप है।

केंद्र। इनके बीच कोई असहमति नहीं है।

प्रावधान और विवादित अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम

साथ ही यू. पी. गन्ना आपूर्ति और खरीद विनियमन आदेश, 1954 के अधिनियम 10 के अंतर्गत आने वाले खेत में कोई खाई नहीं है।

1955. "

41. दीप चंद और अन्य में एक और संविधान पीठ। बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 648 ने के. सुब्बा राव, जे. के माध्यम से इस न्यायालय के पहले के निर्णयों और दो कानूनों के बीच प्रतिकूलता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित तीन सिद्धांतों का उल्लेख करने के बाद कहाः

“ (29) . XXXXXXXXXX

इस प्रकार दो कानूनों के बीच असंगति का पता लगाया जा सकता है।

निम्नलिखित तीन सिद्धांतों के आधार परः

(1) क्या दोनों के बीच सीधा संघर्ष है

प्रावधान;

(2) क्या संसद विषय के संबंध में एक विस्तृत संहिता निर्धारित करने का इरादा रखती है-इस अधिनियम के स्थान पर मामला

राज्य विधानमंडल और परमार् सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

(3) क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून और बनाया गया कानून

राज्य विधानमंडल उसी क्षेत्र पर कब्जा करता है।

42. फिर से M.Karunanidhi में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

भारत और ए. एन. आर. का <आई. डी. 1. , (1979) 3 एस. सी. सी. 431 ने सिद्धांतों को दोहराया

दो कानूनों के बीच असंगति का निर्धारण करना। पैराग्राफ 35 में, निम्नलिखित पूर्वसर्ग निर्धारित किए गए थेः

" 35. इसलिए, अधिकारियों के सावधानीपूर्वक विचार पर

ऊपर उल्लिखित, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैंः

1. कि तिरस्कार के सवाल को तय करने के लिए

यह दिखाया जाना चाहिए कि दोनों अधिनियमों में असंगतता है और अपरिवर्तनीय प्रावधान, ताकि वे एक साथ खड़े न हो सकें या

एक ही क्षेत्र में काम करें।

2. कि निहितार्थ द्वारा कोई निरसन नहीं हो सकता है जब तक कि

इन दोनों कानूनों में विसंगति दिखाई देती है।

3. कि जहाँ दो क़ानून एक विशेष क्षेत्र पर कब्जा करते हैं,

लेकिन दोनों कानूनों के काम करने की गुंजाइश या संभावना है

एक दूसरे के साथ टकराव में आए बिना एक ही क्षेत्र, नहीं

प्रतिकूलता परिणाम।

4. कि जहाँ कोई विसंगति नहीं है बल्कि एक क़ानून है

एक ही क्षेत्र पर कब्जा करना अलग और अलग बनाना चाहता है अपराध, तिरस्कार का कोई सवाल नहीं उठता है और दोनों कानून

उसी क्षेत्र में काम करना जारी रखें। "

43. ठक्कर, जे. अपने लिए बोल रहे हैं और फजल अली, जे. इन

एम/एस। रामचंद्र माव लाल, वाराणसी और अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। , 1984 (सप.) एस. सी. सी. 28 के पास दो कानूनों के बीच असंगति निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों पर विस्तृत रूप से विचार करने का अवसर था। पैराग्राफ 47 में निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांत बताए गए थेः

..... सिद्धांत हो सकता है

47 .

इस प्रकार कहा गया है। केंद्र और राज्य दोनों इस पर बात नहीं कर सकते। एक ही चैनल और वैमनस्य पैदा करें। अगर दोनों बोलते हैं, तो उनकी आवाज़

"बोलना" और "बोलना" (निर्विवाद अधिकार के साथ) जहाँ केंद्र "मौन है, बिना वैमनस्य की शुरुआत किए।

99

44. अंतिम निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह दूसरा है।

के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और [2021] 13 एस. सी. आर. में संविधान पीठ का फैसला।

एन. आर. बनाम कर्नाटक राज्य, (2011) 9 एस. सी. सी. 1 जहाँ प्रतिकूलता पर, पैराग्राफ 108 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 108. संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत तिरस्कार का सवाल तब उठता है जब दोनों कानूनों के प्रावधान पूरी तरह से लागू होते हैं।

संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि एक ही क्षेत्र में आती है। संदर्भ दिया जा सकता है दीप चंद बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। यू. पी. राज्य [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 648], प्रेम नाथ कौल बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य [ए. आई. आर. 1959 एस. सी.

749] , उखाकोले बनाम। महाराष्ट्र राज्य [ए. आई. आर. 1963 एससी.

1531] , बार काउंसिल ऑफ यू. पी. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1973) 1 एस. सी. सी. 261], टी. बरई बनाम। हेनरी आह हो [(1983) 1 एस. सी. सी. 177], होचस्ट

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य [(1983) 4 एस. सी. सी. 45], लिंगप्पा पोचन्ना एप्पेलवार बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1985) 1

एस. सी. सी. 479] और विजय कुमार शर्मा बनाम। कर्नाटक राज्य [(1990)

2 एससीसी 562] "।

45. राज्य द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता का पता लगाने के लिए उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद

46. अब हम भाग IXA में निहित प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 243 पी एक परिभाषा खंड है। अनुच्छेद 243 पी (ए) "समिति" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः

" (क) "समिति" से अनुच्छेद के तहत गठित समिति अभिप्रेत है।

243 एस;

47. अनुच्छेद 243 (ई) "नगरपालिका" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः

" (ङ) "नगरपालिका" से स्वशासन की संस्था अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित; "

48. अनुच्छेद 243Q नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 आर नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः

परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

" 243 आर. नगरपालिकाओं की संरचना (1) के रूप में बचाएँ

खंड (2) में उपबंधित, नगर पालिका की सभी सीटें क्षेत्रीय निकायों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।

नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक

नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वार्ड के रूप में जाना जाता है।

(2) किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित उपबंध कर सकता है - (क) नगरपालिका में प्रतिनिधित्व के लिए -

आई. नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति;

ii. लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूरी तरह से या

आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र; iii. राज्य परिषद के सदस्य और राज्य की विधान परिषद के सदस्य के रूप में पंजीकृत

नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता;

iv. के तहत गठित समितियों के अध्यक्ष

अनुच्छेद 243S का खंड (5):

बशर्ते कि पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

बी। एक के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका

नगरपालिका "।

49. अनुच्छेद 243 आर के उप-अनुच्छेद (1) में दो संवैधानिक प्रावधान हैं।

आवश्यकताएँः - (i) नगरपालिका में सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी और (ii) नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 243 आर के उप-अनुच्छेद (2) में नगरपालिका में चार श्रेणियों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है जो राज्य विधानमंडल द्वारा अपनाए जाने के लिए आवश्यक एक संवैधानिक आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 243 आर का उप-अनुच्छेद (2) नगर पालिकाओं में सीटों से संबंधित नहीं है, जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाएगा। अनुच्छेद 243ZA नगरपालिकाओं के चुनावों के साथ, इस प्रकार, प्रत्यक्ष चुनाव, जैसा कि अनुच्छेद 243 आर के तहत विचार किया गया है, अनुच्छेद 243 जेडए के अनुसार होना चाहिए। 243 जेडए (2) प्रदान करता है

इस प्रकार हैः

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 243 नगरपालिकाओं के लिए जेड. ए. चुनाव

XXXXXXXXXXXX

(2) संविधान के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

50. इस प्रकार, किसी राज्य के विधानमंडल को नगरपालिकाओं के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी मामलों का प्रावधान करना होगा, जिसमें चुने गए व्यक्ति द्वारा नगर पालिका में सीटों को भरना शामिल है।

प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अनुच्छेद 243 आर और 243 जेडए इस बारे में कोई संकेत नहीं देते हैं कि क्या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी वार्डों से, क्या नगर पालिका में केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाना है या यह कई सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। अनुच्छेद 243 आर के संवैधानिक प्रावधान, जो नगर पालिकाओं की संरचना और अनुच्छेद 243 जेडए के प्रावधान करते हैं। उपरोक्त को कोई संकेत नहीं देता है। अनुच्छेद 243 जेड. जी. के प्रावधान, जो चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित हैं, कुछ प्रकाश डालते हैं। अनुच्छेद 243ZG इस प्रकार हैः

" 243 जेड. जी. बार ने चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने का आदेश दिया

इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद,

ए। परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता

निर्वाचन क्षेत्र या अनुच्छेद 243ZA के तहत बनाए गए या किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन

किसी भी न्यायालय में प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा;

बी।

.....

51. अनुच्छेद 243ZG (a) में दो अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया हैः " निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित कोई कानून

निर्वाचन क्षेत्रों को एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक सीटों के आवंटन के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त प्रावधान यह भी प्रदान नहीं करता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटें हो सकती हैं।

52. अब, हम अनुच्छेद 243S की ओर मुड़ते हैं, जो विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल के तर्क का आधार है। अनुच्छेद 243S सौदे

वार्ड समितियों के गठन और संरचना के साथ। अनुच्छेद 243S इस प्रकार हैः

" 243 एस वार्ड समितियों का गठन और संरचना,

(1) वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य शामिल होंगे।

तीन लाख या उससे अधिक की आबादी वाली नगरपालिका के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्डों का। (2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित प्रावधान कर सकता हैः

के प्रति सम्मान -

ए। एक वार्ड की संरचना और क्षेत्रीय क्षेत्र

समिति;

बी। जिस तरीके से वार्ड समिति में सीटें होंगी

भरा जाता है।

(3) वार्ड समिति के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर पालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। (4) जहाँ एक वार्ड समिति में -

ए। एक वार्ड, उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य

नगरपालिका; या

बी। दो या दो से अधिक वार्ड, नगरपालिका के सदस्यों द्वारा चुने गए ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक

वार्ड समिति,

वह उस समिति का अध्यक्ष होगा।

(5) इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी राज्य के विधानमंडल को संविधान के लिए कोई प्रावधान करने से रोकने वाली नहीं मानी जाएगी। वार्ड समितियों के अलावा समितियाँ।

53. अनुच्छेद 243S के उप-अनुच्छेद (3) और उप-अनुच्छेद (4) पर बहुत जोर दिया गया है। श्री सिब्बल ने कहा है कि

अनुच्छेद (3) "वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका के सदस्य" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "एक सदस्य" अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि केवल एक सदस्य एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करेगा। वह आगे प्रस्तुत करता है कि उप-अनुच्छेद (4) उप-खंड (ए) "उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है जो फिर से इस बात को मजबूत करता है कि एक वार्ड का प्रतिनिधित्व केवल एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। पहली बार में, तर्क आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन जब हमने अनुच्छेद 243 एस के विस्तार और उद्देश्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, तो हमें अनुच्छेद 243 एस के प्रावधान में ऐसी कोई सीमा नहीं मिलती है, जो एक वार्ड में बहु-सदस्य सीटों की

आवश्यकता के लिए राज्य विधानमंडल को सीमित करता है। अनुच्छेद 243S के उप-अनुच्छेद (3) पर लौटते हुए, आवश्यकता यह है कि एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर पालिका का एक सदस्य होगा

वार्ड समिति के सदस्य। इस प्रकार, संवैधानिक आवश्यकता या [2021] 13 एस. सी. आर.

उप-अनुच्छेद (3) में निहित सीमा यह है कि वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर पालिका का कोई सदस्य वार्ड समिति का सदस्य होगा। द.

अनुच्छेद 243S (3) का प्रावधान नगर पालिका की संरचना के संबंध में एक प्रावधान नहीं है, बल्कि प्रावधान वार्ड समिति के गठन और संरचना के लिए है। वार्ड समिति में, नगरपालिका में एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य को अनुच्छेद 243S के उप-अनुच्छेद (3) का सदस्य होना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह एक वार्ड से एक से अधिक वार्ड को अनिवार्य करता है।

सदस्यों को प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, जहां एक वार्ड से एक से अधिक सदस्य हैं, सभी समिति के सदस्य बन जाएंगे। जब नगरपालिका के सभी सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं

एक वार्ड और चुनाव के संबंध में अध्यक्ष का चुनाव करने पर विचार किया गया दो या दो से अधिक वार्ड होने पर ही एक व्यक्ति को चुनने पर विचार किया जाता है। यह सच है कि उप-अनुच्छेद (4) (ए) के तहत, उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वार्ड सदस्य के मामले में अध्यक्ष होगा।

55. अब हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या एक वार्ड में कई सदस्य हैं, क्या अध्यक्ष चुने जाने पर अनुच्छेद 243 एस (4) के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। आवश्यकता यह है कि वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा और यदि एक से अधिक सदस्य हैं और बहु-सदस्य वार्ड में से एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, तो अनुच्छेद 243S (4) का प्रावधान लागू होगा। जब अनुच्छेद 243S (4) (a) के तहत संवैधानिक प्रावधानों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रावधान नहीं है।

सदस्य वार्ड, यह राज्य के कानून द्वारा पूरक है। वर्तमान मामले में, हमने देखा है कि नियम, 2007 का नियम 2 (बी), जिसमें प्रावधान है कि वार्ड समिति का अध्यक्ष वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। नियम, इस प्रकार, एक विचार करता है

वार्ड समिति के सदस्यों के बीच अध्यक्ष का चुनाव, परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य v.

जो उस मामले में भी लागू होगा जहां एक वार्ड से एक से अधिक सदस्य हैं। जब एक वार्ड में कई सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, तो अनुच्छेद 243S (4) (a) के जनादेश का पालन किया जाता है। आवश्यकता यह है कि वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य

नगरपालिका में अध्यक्ष होगा। उपरोक्त प्रावधान को किसी भी निषेध या सीमा के प्रावधान में नहीं पढ़ा जा सकता है कि एक वार्ड में एक से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। नगरपालिका की संरचना को अनुच्छेद 243 आर द्वारा अलग से निपटाया गया है और नगरपालिका की संरचना के लिए, अनुच्छेद 243 एस के प्रावधानों को लागू नहीं कहा जा सकता है या नगरपालिकाओं की संरचना के संबंध में कोई सीमा या निषेध प्रदान करने का इरादा नहीं है। नियम, 2007 का नियम 2 (बी) जो अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार, बहु-सदस्य वार्ड के मामले में, अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है, जो नियम, 2007 के अनुच्छेद 243 एस (4) के साथ-साथ नियम 2 (बी) दोनों पर लागू हो सकता है। इस प्रकार, नियम, 1994 के नियम 4 और 5 के साथ-साथ नियम, 2007 के नियम 2 (बी) किसी भी तरह से अनुच्छेद 243 एस (4) के जनादेश की अवज्ञा नहीं करते हैं, दोनों का पालन दो अलग-अलग प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष के बिना किया जा सकता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि

धारा 5 (3) (iii) (a) के साथ-साथ नियम, 1994 के नियम 4 और 5 और नियम, 2007 के नियम 2 (b) के प्रावधान निम्नलिखित प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं -

अनुच्छेद 243S.

56. अब हम उन मामलों पर आते हैं, जिन पर श्री कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों के समर्थन में भरोसा किया है। श्री सिब्बल ने निर्भरता रखी है

मनोज नरूला बनाम भारत संघ, (2014) 9 एस. सी. सी. 1 में इस न्यायालय के निर्णय पर इस पूर्व स्थिति के लिए कि संवैधानिक अवधारणाओं की व्याख्या करने के लिए निहितार्थ के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्णय के अनुच्छेद 17 का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 17. हाल ही में, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। सी. बी. आई. [(2014) 8 एस. सी. सी. 682], संविधान पीठ, आर. एम. लोढ़ा के माध्यम से बोलते हुए,

सी. जे. ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6-ए, जिसे 2003 के अधिनियम 45 द्वारा जोड़ा गया था, को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा है किः (एससीसी पीपी। 725-26 , पैरा 59)

" 59. यह हमें लगता है कि वर्गीकरण जो बनाया गया है

अनुच्छेद 14 के तहत सरकारी सेवा में स्थिति के आधार पर धारा 6-ए की अनुमति नहीं है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रथम दृष्टया सच्चाई खोजने के उद्देश्य को विफल कर देती है, जो पीसी अधिनियम, 1988 के तहत अपराध है। क्या भ्रष्ट लोक सेवकों के बीच उनकी स्थिति के आधार पर ठोस अंतर हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति या स्थिति के बावजूद, भ्रष्ट जनता [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवक सार्वजनिक शक्ति के भ्रष्ट करने वाले होते हैं। भ्रष्ट लोक सेवक, चाहे वे उच्च हों या निम्न, एक ही पंख के पक्षी हैं और उन्हें जांच और जांच की प्रक्रिया का समान रूप से सामना करना चाहिए। सेवा में पद या स्थिति के आधार पर, लोक सेवकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है जिनके खिलाफ पीसी अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के बराबर के आरोप हैं। और उसके बाद, वृहद पीठ ने आगे कहाः (एस. सी. सी पी. 726 , पैरा

" 60. भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन है और भ्रष्ट लोक सेवकों का पता लगाना और ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना आवश्यक है पीसी अधिनियम, 1988 का अधिदेश। इसे सही ठहराना मुश्किल है

वर्गीकरण जो धारा 6-ए में किया गया है क्योंकि पी. सी. अधिनियम, 1988 में कानून का लक्ष्य भ्रष्टाचार के मामलों को बहुत मजबूत हाथ से निपटाना है और सभी लोक सेवकों को इस तरह के विधायी उपाय के माध्यम से चेतावनी दी जाती है कि भ्रष्ट लोक सेवकों को सामना करना पड़ता है।

बहुत गंभीर परिणाम "।

और फिर सेः (एससीसी पीपी। 730-31 , पैरा 71-72)

" 71. सार्वजनिक शक्ति का कार्यालय व्यक्तिगत लाभ की कार्यशाला नहीं हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व है। जिन दो लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार या रिश्वत लेने या आपराधिक कदाचार के आरोप हैं, वे कैसे कर सकते हैं।

निर्माता। 72. भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन है और भ्रष्ट लोक सेवक का पता लगाना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, और ऐसे व्यक्ति को दंडित करना पीसी अधिनियम, 1988 के तहत एक आवश्यक जनादेश है। द.

लोक सेवक की स्थिति या पद ऐसी सार्वजनिक योग्यता के योग्य नहीं है। नौकर को समान व्यवहार से छूट। फैसला

सत्ता बनाना भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में विभाजित नहीं करता है क्योंकि वे आम अपराधी होते हैं और उनका पता लगाना होता है

जाँच और जाँच की एक ही प्रक्रिया।

57. उपरोक्त के रूप में इसके द्वारा निर्धारित पूर्व स्थिति में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इस न्यायालय ने बाद के अनुच्छेद 71 में व्याख्या करते हुए

ऑक्ट्रीन ऑफ इम्प्लिकेशन ने माना है कि इस सिद्धांत का अपना है

एटियन। व्याख्या का संविधान में एक आधार होना चाहिए। पैराग्राफ 71 में कीड़ी की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

. इस प्रकार, उक्त सिद्धांत हो सकता है

" 71. ....

संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के उद्देश्य से सहायता ली गई

विस्तृत तरीके से। लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ हैं। द.

संवैधानिक प्रावधान को फिर से नहीं लिखा जा सकता है। इस संदर्भ में, हम फलदायी रूप से कुलदिप नायर मामले [कुलदिप नायर बनाम। संघ का

भारत, (2006) 7 एस. सी. सी. 1] जिसमें न्यायालय ने विवाद को खारिज कर दिया।

कि वोट देने के अधिकार में हमेशा एक निहित शब्द होता है अर्थात अधिकार

सोचा कि ऐसा करना उचित है, इसने खुद गुप्त रूप से चुनावों का प्रावधान किया है मतपत्र उदा. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में और

भारत के उपराष्ट्रपति। ... .

58. पैराग्राफ 72 में, अदालत ने याचिकाकर्ता के निवेदन को खारिज कर दिया

कि "प्रधानमंत्री की सलाह" शब्दों की व्याख्या करते हुए ए यदि आरोप तय किए गए हैं तो किसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में सोचने पर प्रतिबंध

उसके खिलाफ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पैराग्राफ 72 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 72. इस प्रकार विश्लेषण किया गया है, प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करना संभव नहीं है

श्री द्विवेदी ने शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा कि

यदि आरोप लगाए गए हैं तो किसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में सोचने पर प्रतिबंध उसके खिलाफ जघन्य और गंभीर अपराधों के संबंध में मामला दर्ज किया गया

आपराधिक कानून के तहत भ्रष्टाचार के मामलों सहित।

59. हमने अनुच्छेद 243 आर, 243 एस के प्रावधानों का विश्लेषण किया है और

इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अनुच्छेद 243S में कोई सीमा नहीं पाई जा सकती है जिसमें एक से अधिक होने का कोई निषेध है।

वार्ड के लिए सदस्य।

60. श्री कपिल सिब्बल द्वारा भरोसा किए गए अगले फैसले के मुख्य न्यायाधीश हैं

आंध्र प्रदेश और अन्य बनाम। एल. वी. ए. दीक्षितुलु और अन्य। , (1979)

2 एससीसी 34. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या के सिद्धांतों को दोहराया है। पैराग्राफ 66 और 67 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 66. व्याख्या का प्राथमिक सिद्धांत यह है कि ए

संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाया जाना चाहिए। " उन लोगों के इरादे के अनुसार जिन्होंने इसे बनाया "(कोक)। आमतौर पर,

इस तरह का इरादा प्रावधान की भाषा से एकत्र किया जाता है। अगर

कानून द्वारा नियोजित भाषा या वाक्यांश सटीक [2021] 13 एस. सी. आर. है।

और स्पष्ट और इस प्रकार अपने आप में विधायी इरादे को स्पष्ट शब्दों में घोषित करता है, इसके बाद आने वाले परिणामों की परवाह किए बिना इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। लेकिन यदि प्रावधान में उपयोग किए गए शब्द अस्पष्ट, मौलिक या प्रेरक हैं या यथोचित रूप से एक से अधिक अर्थ रख सकते हैं, तो सख्त व्याकरणिक निर्माण का नियम वास्तविक विधायी इरादे तक पहुंचने के लिए एक निश्चित मार्गदर्शक नहीं है। ऐसे मामले में, नियोजित नियमों और वाक्यांशों के सही अर्थ का पता लगाने के लिए, न्यायालय के लिए प्रावधान की शाब्दिक सीमाओं से परे जाना और निर्माण के अन्य अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियमों, जैसे कि इसके विधायी/इतिहास, मूल योजना और ढांचे की सहायता करना वैध है।

परिणाम जो दूसरी संभावित व्याख्या की वरीयता में एक को अपनाने से उत्पन्न हो सकते हैं। 67. जहाँ दो वैकल्पिक निर्माण संभव हैं, वहाँ न्यायालय को एक का चयन करना चाहिए जो क़ानून के अन्य भागों के अनुरूप हो और इसके सुचारू, सामंजस्यपूर्ण कार्य को सुनिश्चित करे, और दूसरे को छोड़ देना चाहिए जो इसके विभिन्न प्रावधानों के बीच बेतुकेपन, भ्रम, या घर्षण, विरोधाभास और संघर्ष की ओर ले जाता है, या अधिनियमन की मूल योजना और उद्देश्य को कमजोर करता है, या पराजित या नष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। निर्माण के ये सिद्धांत हमारे संविधान की व्याख्या पर अधिक बल के साथ लागू होते हैं, क्योंकि संविधान एक जीवित, एकीकृत जीव है जिसमें एक आत्मा और आत्मा है।

अपनी खुद की चेतना।

संविधान पर व्याख्या के उपरोक्त सिद्धांत पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि जब राज्य विधानमंडल को नगर पालिकाओं की संरचना के संबंध में कानून बनाने की प्रारंभिक शक्ति दी गई है, तो एक स्पष्ट या निहित सीमा होनी चाहिए, जो राज्य विधानमंडल को बहु-सदस्य वार्ड के लिए प्रावधान करने वाला कानून बनाने से प्रतिबंधित कर सकती है। 62. श्री सिब्बल द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य निर्णय एम. टी. खान और अन्य हैं। बनाम सरकार। ए. पी. और अन्य। , (2004) 2 एससीसी 267। इस न्यायालय में

उपरोक्त मामले में अनुच्छेद 165 और 367 पर विचार करने का अवसर था

संविधान। अनुच्छेद 367 में प्रावधान है कि सामान्य खंड अधिनियम को व्याख्या से निपटने में तब तक लागू किया जा सकता है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि महाधिवक्ता ने अनुच्छेद 165 परमार् सामंतसिंह और अन्य बनाम में निर्दिष्ट किया है।

63. हम, वर्तमान मामले में, संविधान के भाग IXA के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संविधान के भाग IXA में कोई निषेध या सीमा नहीं है जो राज्य विधानमंडल को एक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी वार्ड से एक से अधिक सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करने वाली कानून बनाने से रोकती है।

64. इस प्रकार हम प्रश्न संख्या का उत्तर देते हैं। 1 और 2 निम्नलिखित तरीके सेः

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आर और 243 एस में इस प्रभाव की कोई सीमा नहीं है कि एक वार्ड से केवल एक सदस्य होगा।

(2) अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) (a) और धारा 29A और नियम, 1994 के नियम 4 और 5 और नियम, 2007 के नियम 2 (b) के प्रावधान अनुच्छेदों के प्रावधानों से परे नहीं हैं।

243 संविधान का आर और 243 एस।

प्रश्न संख्या 3

65. श्री सिब्बल का कहना है कि एक से अधिक

वार्ड के प्रतिनिधि कमजोर वर्गों, यानी महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण की अवधारणा को नकारते हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि जब किसी वार्ड से केवल एक सदस्य होता है और यदि वार्ड महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो यह महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण है और यदि एक वार्ड में 4 सदस्य हैं, तो महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति [2021] 13 एस. सी. आर. के कारण का प्रभावी ढंग से समर्थन करने में सक्षम नहीं होंगे।

कमजोर वर्ग। संविधान में भाग IX को शामिल करने के लिए लोकसभा में पेश किए गए 1991 के विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण अनुच्छेद 2 में कहा गया हैः

" 2. इन अपर्याप्तताओं को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है

यह आवश्यक है कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान

संविधान में विशेष रूप से शामिल

((i) दोनों के बीच संबंध को पूर्व स्तर पर रखना।

के संबंध में राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय

(क) कार्य और कराधान शक्तियाँ; और

(ख) राजस्व बंटवारे की व्यवस्था;

((ख) चुनावों का नियमित संचालन सुनिश्चित करना। ((ग) अधिक्रमण की स्थिति में समय पर चुनाव सुनिश्चित करना;

और

((iv) कमजोर लोगों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे वर्ग।

66. भाग IXA में शामिल भारत के संविधान के अनुच्छेद 243T में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। संविधान में प्रावधान के लिए

सीटों का आरक्षण प्रदान करना महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने का एक प्रावधान है। गुजरात परिसीमन नगरपालिका बरो नियम, 1994 में वार्डों और आरक्षित सीटों के आवंटन में संशोधन नियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया है। खंड 2 और 3 में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

" 2. वार्डों के परिसीमन और नगरपालिका बरो नियम, 1994 में आरक्षित सीटों के आवंटन में (इसके बाद संदर्भित)

" उक्त नियम), नियम 4 में, "तीन" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों में नियम 5 के लिए निम्नलिखित नियम होगा -

प्रतिस्थापित, अर्थात्ः

" 5. (1) प्रत्येक वार्ड में दो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

(महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग) और

शेष सीटों को ध्यान में रखते हुए आवंटित किया जाएगा। संविधान की धारा 6 के तहत आरक्षण की आवश्यकता

अधिनियम ने कहा।

(2) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करते समय

उप-नियम (1) में दी गई विभिन्न आरक्षित श्रेणियां;

(क) यदि सीटों की संख्या को समान रूप से विभाजित करना संभव नहीं है, तो इस तरह के विभाजन के बाद शेष एक सीट,

या

(ख) यदि केवल एक सीट आरक्षित करने की आवश्यकता है

आरक्षित श्रेणियों में से कोई भी, तो, ऐसी सीट,

वार्डों के परिसीमन और आरक्षित सीटों के आवंटन के लागू होने के बाद होने वाले आम चुनावों में पहले एक पुरुष उम्मीदवार और फिर एक महिला को बारी-बारी से आवंटित किया जाएगा।

नगरपालिका बरो (संशोधन) नियम, 2015 "।

67. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अब यह 4 सदस्यीय वार्ड है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए।

68. यह न्यायालय कासामभाई एफ. घांची बनाम चंदुभाई डी.

राजपूत और अन्य, (1998) 1 एस. सी. सी. 285, ने माना था कि समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए आरक्षण प्रदान करने का विचार न केवल उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि यह उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास है। पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

" 13. कमजोरों के लाभ के लिए आरक्षण प्रदान करने का विचार

समाज के वर्ग केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नहीं हैं।

नगरपालिका के कार्यों का संचालन लेकिन यह उनकी स्थिति में सुधार करने का एक प्रयास है। आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट

उस श्रेणी के व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बन जाती है

नगरपालिका के सदस्य। यदि उनकी लोकप्रियता के कारण बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े नगरपालिका में संख्या से अधिक वर्ग या महिलाएँ निर्वाचित होती हैं।

आरक्षित सीटें जो स्वागत योग्य हों।

69. कमजोरों के लिए सीटें आरक्षित करने का पूरा उद्देश्य और उद्देश्य

इस वर्ग का उद्देश्य कमजोर वर्गों यानी महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाना है, जब कमजोर वर्गों के लिए अधिक संख्या आरक्षित होती है तो नगरपालिका में उनकी भागीदारी उनकी आवाज और प्रभावी भागीदारी को बल देते हुए बढ़ेगी जो कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के अलावा और कुछ नहीं है। हम श्री सिब्बल के इस कथन को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं कि जब केवल एक प्रतिनिधित्व है

एक वार्ड से ही कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण किया जा सकता है।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2015 में संशोधित नियम, 1994 द्वारा अब हर वार्ड से कमजोर वर्गों की आवाज को महसूस किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से कमजोर वर्गों की उपस्थिति और भागीदारी को बढ़ाता है और किसी भी तरह से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को नकारता नहीं है। इस प्रकार, हमें कोई पदार्थ नहीं मिलता है।

श्री सिब्बल की उपरोक्त प्रस्तुति में।

कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को बढ़ाना।

प्रश्न संख्या 4

71. श्री सिब्बल का निवेदन है कि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले,

अधिसूचना 04.12.2014 पर ही जारी की गई है जो अवैध है। वह प्रस्तुत करता है कि अधिसूचना दिनांक 04.12.2014 उस आपत्ति पर विचार किए बिना जारी की गई है जिसे 30 दिनों के भीतर दायर करने पर विचार किया गया था। 27.11.2014 दिनांकित अधिसूचना के साथ-साथ 04.12.2014 दिनांकित अधिसूचना को पेपर बुक के अनुलग्नक पी-1 और अनुलग्नक पी-2 के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है। प्रारूप अधिसूचना के साथ दिनांकित 27.11.2014 अधिसूचना को नोटिस करना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" सूचना

शहरी विकास और शहरी आवास विभाग,

सचिवालय, गांधीनगर

तारीखः 27.11.2014

2014 का No.KV/184/एम. आई. एस. सी./102014/5640/पी.: - गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का Born.LIX) की धारा 5 के साथ पठित धारा 456 की उप-धारा (1) के तहत जारी किए जाने वाले नियमों का निम्नलिखित मसौदा, उक्त अधिनियम की उक्त धारा 456 की उप-धारा (2) द्वारा आवश्यक के अनुसार प्रकाशित किया जाता है, जिससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों को गुजरात सरकार द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार में लिया जाएगा।

आधिकारिक राजपत्र।

2 कोई आपत्ति या सुझाव जो प्राप्त किया जा सकता है

गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी मार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

विकास और शहरी आवास विभाग, सचिवालय, गांधीनगर, उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

ड्राफ्ट सूचना

नहीं। 2014 का केवी/184/एमआईएससी/102014/5640/पीः - धारा 456 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (जन्म। 1949 का LIX), गुजरात सरकार इसके द्वारा वार्डों के परिसीमन और आरक्षित सीटों के आवंटन नियम, 1994 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः

1. इन नियमों को वार्डों का परिसीमन कहा जा सकता है और

आरक्षित सीटों का आवंटन (संशोधन) नियम, 2014।

2. वार्डों के परिसीमन और आरक्षित के आवंटन में

सीट नियम, 1994 (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित), नियम 4 में, "तीन" शब्द के लिए, "चार" शब्द होगा -

प्रतिस्थापित।

3. उक्त नियमों में नियम 5 के लिए निम्नलिखित नियम होगा - प्रतिस्थापित, अर्थात्ः

" 5. (1) प्रत्येक वार्ड में दो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी (जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं)।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग

वर्ग) और शेष सीटों को आरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवंटित किया जाएगा।

उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत।

(2) उप नियम (1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करते समय,

(क) यदि सीटों की संख्या को समान रूप से विभाजित करना संभव नहीं है तो इस तरह के विभाजन के बाद शेष एक सीट, या

(ख) यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी के लिए केवल एक सीट आरक्षित करने की आवश्यकता है, तो ऐसी सीट

[2021] 13 एस. सी. आर. लागू होने के बाद होने वाले आम चुनावों में पहले एक पुरुष उम्मीदवार और फिर बारी-बारी से एक महिला को आवंटित किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 8 में, "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त" शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के स्थान पर "राज्य चुनाव आयोग में पंजीकृत" शब्द रखे जाएंगे। आदेश द्वारा और गुजरात के राज्यपाल के नाम पर,

(अशोक सिंह परमार)

सरकार के उप सचिव "।

72. उपरोक्त अधिसूचना का अवलोकन इंगित करता है कि उक्त

कैशन वार्डों के परिसीमन में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना थी

आरक्षित सीटों का आवंटन (संशोधन) नियम, 2014 जिसमें4 , "तीन" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखने की कोशिश की गई थी।

73. अधिसूचना दिनांक 04.12.2014 अभ्यास में जारी की गई है।

अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (iii) के उप-खंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकार। दिनांकित अधिसूचना 04.12.2014 में लिखा है:

" सूचना

शहरी विकास और शहरी आवास विभाग

सचिवालय।

गांधीनगर।

दिनांक 4 दिसंबर, 2014

2014 का No.KV-194-ELE-102014-1701-P: जहाँ से

उप द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात सरकार धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (iii) का खंड (क)

गुजरात की उक्त धारा 5 की उप-धाराएँ (4), (5), (6) और (7)

प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (जन्म। 1949 की सूची) (इसके बाद सरकार के तहत "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित)

अधिसूचना, शहरी विकास और शहरी आवास विभाग

2010 का No.KV-47-ELE 102009-526-P, दिनांक 23 मार्च, 2010

वार्डों और पार्षदों की संख्या, संख्या निर्धारित की है अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें और

अहमदाबाद नगर निगम के लिए महिलाएँ।

मार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

और क्योंकि वार्डों और पार्षदों की संख्या, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का पता जनगणना-2011 के आधार पर घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार और उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना आवश्यक है। और जहाँ अहमदाबाद शहर के नगर निगम का आम चुनाव होना है;

अब, इसलिए, जहां तक अहमदाबाद शहर का संबंध है, धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (iii) के उप-खंड (क) द्वारा उप-संप्रदाय (4), (5), (6) के साथ पठित और उक्त अधिनियम की उक्त धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने कहा है कि

गुजरात सरकार इसके द्वारा वार्डों और सीटों की संख्या निर्धारित करती है -

निम्नलिखित हैः

1. अहमदाबाद शहर के क्षेत्रों को अड़तालीस (48) वार्डों में विभाजित किया जाएगा और अहमदाबाद शहर के नगर निगम में एक सौ नब्बे (192) पार्षद होंगे।

2. एक सौ नब्बे में से (192) सीटें

(बीस (20) सीटें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी जिनमें से दस (10) सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ((2) दो सीटें अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें से एक (1) सीट अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।

(iii) उन्नीस (19) सीटें पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें से नौ (9) सीटें निम्न वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी -

पिछड़े वर्ग;

(iv) महिलाओं के लिए छियानबे (96) सीटें आरक्षित की जाएंगी (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी शामिल है)।

ऊपर उल्लिखित पिछड़े वर्ग)।

आदेश द्वारा और गुजरात के राज्यपाल के नाम पर।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(अशोक सिंह

परमार)

सरकार के उप सचिव "।

74. दिनांकित 04.12.2014 अधिसूचना का एक नंगे अवलोकन इंगित करता है

कि उक्त अधिसूचना दिनांकित अधिसूचना के संदर्भ में नहीं है, बल्कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों और पार्षदों की सीटों की संख्या के निर्धारण के संबंध में उक्त अधिसूचना जारी की गई थी। इस प्रकार, यह तर्क कि 30 दिनों की समाप्ति से पहले जारी अधिसूचना दिनांक 04.12.2014 पूरी तरह से गलत है। अपीलकर्ताओं ने स्वयं पेपर बुक में अनुलग्नक पी-9 के रूप में 15.01.2015 दिनांकित एक अधिसूचना दर्ज की है जो दिनांकित 27.11.2014 अधिसूचना के संदर्भ में जारी की गई अधिसूचना है। अधिसूचना दिनांक 15.01.2015 में लिखा हैः

" सूचना

गुजरात सरकार

शहरी विकास और शहरी आवास विभाग

सचिवालय, गांधीनगर

तिथि 15 जनवरी, 2015

2015 का NO.KV-38-एम. आई. एस. सी. 102014-564-- पीः जबकि,

कुछ मसौदा नियमों को उप-धारा द्वारा आवश्यकतानुसार प्रकाशित किया गया था।

(2) गुजरात प्रांतीय नगर निगमों की धारा 456

गुजरात सरकार के राजपत्र के केंद्रीय खंड में, अतिरिक्त सरकार के अधीन साधारण, दिनांक 27 नवंबर, 2014

अधिसूचना, शहरी विकास और शहरी आवास विभाग 2014 का No.KV/184, सभी से आपत्तियाँ या सुझाव आमंत्रित करना

तीस की अवधि के भीतर प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति

में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिन

आधिकारिक राजपत्र।

XXX

X

XXX "

XXX

XXX

75. इस प्रकार, दिनांकित 27.11.2014 अधिसूचना के संदर्भ में,

अधिसूचना 15.01.2015, नियमों, अर्थात्, बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम (शहर में वार्डों का परिसीमन और आवंटन) पर जारी की गई थी। आरक्षित सीटों के) (संशोधन) नियम, 2015 जारी किए गए थे जिनमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि सरकार द्वारा मसौदे के अनुसरण में आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया गया है। इस प्रकार, हम उपरोक्त अधिसूचना में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं।

परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह और अन्य बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।]

76. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रश्न संख्या 3 का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैं:

अलग विषय, दिनांकित अधिसूचना जारी करने में कोई अवैधता नहीं है 04.12.2014 .

77. हमने पाया है कि अधिनियम, 1949 की धारा 5 (3) (iii) (a) और धारा 29A और नियम, 1994 और नियम के नियम 4 और 5 के प्रावधान

2 (ख) नियम, 2007 संविधान के भाग IXA के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसमें कोई त्रुटि नहीं की है।

अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करना। इस प्रकार, हम 2015 की एस. एल. पी. (सी) No.24950 और 2020 की रिट याचिका (सी) No.786 से उत्पन्न सिविल अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इसलिए, दीवानी अपील और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

दीवानी अपील (2015 के एसएलपी (सी) No.30635 से उत्पन्न-राज्य चुनाव आयोग बनाम विरेंद्रसिंह माफाजी वाघेला और अन्य।)

78. यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के दिनांकित 21.10.2015 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा रिट याचिका दायर की गई है।

उत्तरदाताओं द्वारा अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 72 में निर्देश जारी किए हैं जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। उच्च न्यायालय ने 2015 के अध्यादेश संख्या 3 को असंवैधानिक और अमान्य पाया। राज्य में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव को स्थगित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग की कार्रवाई को अवैध माना गया और इसे दरकिनार कर दिया गया। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था

स्थानीय निकायों को तुरंत। नवंबर/दिसंबर, 2015 में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। डिवीजन बेंच के दिनांक 21.10.2015 के निर्देश को पूरा करने के बाद इस अपील में कुछ भी तय नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के विवादित निर्देश के अनुसरण में गठित स्थानीय निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, हम इस अपील में उठाए गए मुद्दे में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं देखते हैं। इस प्रकार, अपील को निष्फल होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपी

लों का निपटारा किया गया।